

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

ग्राम पंचायत-
जवाहर नगर पुरसारी

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार





क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



ग्राम पंचायत- जवाहर नगर पुरसारी

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार



प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

Email: doeuplko@yahoo.com; Website: www.upenv.upsdc.gov.in

तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव

श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

जिला प्रशासन

श्री प्रेम रंजन सिंह, आईएएस, जिलाधिकारी, एटा

डॉ. अवधेश कुमार वाजपेयी, पीडीएस, मुख्य विकास अधिकारी, एटा

वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ

श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक

डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ परामर्शदाता

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

डॉ. शिराज वजीह, अध्यक्ष

लेखक

वसुधा फाउंडेशन

सुश्री मेखला शास्त्री, श्री मोहित जाने, सुश्री शिविका सोलंकी, सुश्री रिनी दत्त

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

शोध समर्थन

वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीति सिंह, सुश्री स्वाति गुप्ता, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, श्री नवीन कुमार, सुश्री फातिमा सैला

जवाहर नगर पुरसारी ग्राम पंचायत

श्री अरविन्द राठौर, ग्राम प्रधान

क्षेत्र शोध समर्थन

राष्ट्रीय मूक बधिर समिति, फ़िरोज़ाबाद

श्री विश्व विमोहन कुलश्रेष्ठ, श्री संजीव कुलश्रेष्ठ, सुश्री आकांक्षा कुलश्रेष्ठ

डिज़ाइन एवं लेआउट

वसुधा फाउंडेशन

श्री ससाधर रॉय, श्री रोहिन कुमार, श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया



श्री प्रेम रंजन सिंह
(आई.ए.एस.)



जिलाधिकारी एटा

दिनांक :-

—:संदेश:-

ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत— जबाहर नगर पुरसारी, विकास खण्ड—जैथरा, जनपद एटा की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत सम्मान अनुभव हो रहा है, जैसा कि हम जलवायु के परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिए जमीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें समुदाय के निकटतम शासन की एक आवश्यक इकाई होने के कारण जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत् विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारे समुदाय, हमारी परिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थ व्यवस्था आपस में जुड़े हैं और हमारे लिए एक ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है जो जलवायु से जुड़े जोखिमों को कम करती हो।

ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता है जो पंचायतों को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिए एक मार्ग दर्शक के रूप में कार्य करेगी।

ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता है जो पंचायतों को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिए एक मार्ग दर्शक के रूप में कार्य करेगी।

मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली, स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने में सहयोगी होगी।

॥ शुभकामनाओं सहित ॥

(प्रेम रंजन सिंह)

डॉ अवधेश कुमार वाजपेयी
(पी0डी0एस0)



मुख्य विकास अधिकारी
जनपद एटा, उत्तर प्रदेश
दिनांक:- 06/07/2024

:: संदेश ::

मैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत- जबाहर नगर पुरसारी, विकास खण्ड-जैथरा, जनपद एटा की कार्ययोजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समर्पित प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।


जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं उसमें यह कार्ययोजना सहयोगी होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसे मॉडल तैयार करना है जो न केवल हमारी पर्यावरण की रक्षा करे बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढ़ाये।

यह कार्ययोजना ग्राम पंचायतों में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करे। साथ मिलकर हम प्रभारी जलवायु नीतियों को लागू कर सकते हैं, स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मजबूत हो बल्कि समाजिक रूप से भी न्याय संगत हो।

एक बार फिर क्लाइमेट कार्य योजना तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिये आप सभी को धन्यवाद। हमें योजना के सफल कार्यान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की आशा करता हूँ।

॥ धन्यवाद ॥

भवदीय


06/07/2024
(डॉ अवधेश कुमार वाजपेयी)

ग्राम पंचायत जवाहर नगर पुरसारी

वि०ख० जैथरा, जनपद-एटा

अरविन्द राठौर

प्रधान

मो०- 8433449510

निवासी- जवाहर नगर पुरसारी

पो० - जासमई

जनपद - एटा

दिनांक : - 06/07/2024

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत जवाहर नगर पुरसारी

वि०ख० जैथरा, जनपद-एटा

आभार

सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान ग्राम पंचायत जवाहर नगर पुरसारी की ओर से सादर नमस्कार और अभिनंदन मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने की ओर बढ़ाएं गये प्रथम प्रयास को साझा करने हेतु रोमांचित हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं और हमारे समुदाय और भावी पीढ़ियों के भलाई के उन पर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस विषय की गंभीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्व सहमति से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को आरंभ किया। सर्वप्रथम आवश्यक था कि ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिए समुदाय सहभागिता के साथ-साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आंकड़ों को एकत्रित किया गया। आंकड़े एकत्रित करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिए स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर इनवायरमेंट एक्शन ग्रुप(जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर का तथा आंकड़ें एकत्रित करने में हमारे सभी ग्रामवासियों के समर्थन और सक्रिय भागीदारी के लिए हृदय से धन्यवाद। हम सभी साथ मिलकर हमारी ग्राम पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनायेंगे। जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली का भी आभारी हूँ। जिन्होंने एकत्रित किए गए आंकड़ों को कार्य योजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों से अपनी पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। आइए हम सभी एक साकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़ें। और दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करें।

धन्यवाद।

अरविन्द सिंह
प्रधान

ग्राम पंचायत जवाहर नगर पुरसारी

अरविन्द सिंह
प्रधान
मो०- 8433449510
निवासी- जवाहर नगर पुरसारी
पो०- जासमई
जनपद- एटा

विषय वस्तु

1	कार्यकारी सारांश	1
2	ग्राम पंचायत की रूपरेखा	4
	▪ जवाहर नगर पुरसारी ग्राम पंचायत एक दृष्टि में	4
	▪ जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल	5
	▪ प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ	6
	▪ कार्यरत महिलाएं	7
	▪ कृषि	7
	▪ प्राकृतिक संसाधन	8
	▪ जवाहर नगर पुरसारी में सुविधाएं	9
3	कार्बन फुटप्रिंट	10
4	व्यापक मुद्दे	11
5	प्रस्तावित सुझाव	12
	1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	13
	2. सतत कृषि	17
	3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	22
	4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	26
	5. स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच	31
	6. सतत एवं उन्नत गतिशीलता	40
	7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	44
6	विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची	47
7	अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव	53
8	आगे की राह	58
9	अनुलग्नक	59

चित्रों की तालिका

चित्र 1: जवाहर नगर पुरसारी ग्राम पंचायत, एटा ज़िले का भूमि उपयोग मानचित्र	5
चित्र 2: जवाहर नगर पुरसारी में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1994-2018	6
चित्र 3: जवाहर नगर पुरसारी में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1994- 2018	6
चित्र 4: जवाहर नगर पुरसारी में परिवारों के आय के स्रोत	6
चित्र 5: जवाहर नगर पुरसारी में घरेलू स्तर पर आय का अनुमान	7
चित्र 6: जवाहर नगर पुरसारी में राशन कार्ड वाले परिवार	7
चित्र 7: जवाहर नगर पुरसारी में सकल फसल क्षेत्र का फसल-वार वितरण	7
चित्र 8: 2022 में जवाहर नगर पुरसारी में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	10
चित्र 9: 2022 में जवाहर नगर पुरसारी के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	10



कार्यकारी सारांश

उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले की जवाहर नगर पुरसारी ग्राम पंचायत दक्षिण-पश्चिमी अर्धशुष्क कृषि जलवायु क्षेत्र में स्थित है। जवाहर नगर पुरसारी की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर जलवायु गतिविधियों/प्रक्रियाओं को मजबूत करने और पंचायत को वर्ष 2035 तक जलवायु स्मार्ट/लचीला बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत को विशेष दिशा प्रदान करती है जिससे पंचायत लचीलापन, अनुकूली क्षमता को बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने के साथ ही ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ प्राप्त कर पाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की कार्ययोजनाओं के विकास के उद्देश्य से तैयार किए गए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को अपनाकर इस कार्ययोजना को तैयार किया गया है। जवाहर नगर पुरसारी के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे जवाहर नगर पुरसारी ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

कार्य योजना¹ प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, दक्षिण-पश्चिमी अर्धशुष्क कृषि जलवायु क्षेत्र, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रमुख मुद्दों को सम्मिलित करती है। कार्ययोजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों तथा जवाहर नगर पुरसारी ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे आधार रेखा बनाने और जवाहर नगर पुरसारी के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में मदद मिली है।

जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है, ग्राम पंचायत में 5 राजस्व गांव और 492 परिवार हैं, जिनकी कुल आबादी 2,997 है²। मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है। एक आधारभूत मूल्यांकन से पता चलता है कि जवाहर नगर पुरसारी ग्राम पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट ~902 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e)³।

दृष्टिकोण

प्राथमिक सर्वेक्षण टूल का विकास

सर्वेक्षण और प्राथमिक डेटा संग्रहण: पंचायत में सर्वेक्षण का कार्य ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया गया। ग्रामीण सहभागी आंकलन (PRA) की गतिविधियों यथा समूह केन्द्रित चर्चा (FGD), गाँव का भ्रमण, सामाजिक तथा संसाधन मानचित्रण आदि की सहायता एवं निवासियों और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से अंकड़े एकत्र किए गए।

आंकड़ों का विश्लेषण और कार्ययोजना निर्माण:

- **ग्राम पंचायत की रूपरेखा तैयार करना:** सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त जानकारी के आधार पर ग्राम पंचायत की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है इस रूपरेखा में जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और जवाहर नगर पुरसारी में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सम्मिलित हैं।
- **मुख्य मुद्दों की पहचान:** सर्वेक्षण प्रश्नावली और खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (HRVCA) में प्राप्त जानकारी के माध्यम से प्रमुख जलवायु, विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।
- **कार्बन फुटप्रिंट अनुमान:** जवाहर नगर पुरसारी में प्रमुख गतिविधियों* के लिए कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया।
- **प्रस्तावित सुझाव/संस्तुतियाँ:** पहचाने गए/चिन्हित पर्यावरणीय और जलवायु मुद्दों के आधार पर जवाहर नगर पुरसारी के लिए सुझाव/संस्तुतियाँ तैयार की गईं। इन सुझाव/संस्तुतियों में दक्षिण-पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र की प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, जवाहर नगर पुरसारी की क्षेत्रवार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

कार्ययोजना तैयार किए जाने के दौरान सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे जलवायु विषय पर कार्य करने के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

* गतिविधियों में शामिल हैं- बिजली की खपत से उत्सर्जन, आवासीय खाना पकाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसल अवशेष जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, धान की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

1 ग्राम पंचायत कार्ययोजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन एवं खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (HRVCA) के पहलू सम्मिलित हैं।

2 जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या 2,258 है

3 ग्राम पंचायत के भीतर बिजली की खपत के कारण स्कोप 2 उत्सर्जन सम्मिलित है (UPPCL से प्राप्त डेटा और CEA से प्राप्त ग्रिड उत्सर्जन कारक)

ग्राम पंचायत जवाहर नगर पुरसारी में तत्काल कार्यवाही हेतु पहचाने गए कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्न हैं:

- जल निकाय संरक्षण और जीर्णोद्धार गतिविधियों द्वारा सतत जल प्रबंधन सुनिश्चित करना, साथ ही, पानी की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए वर्षा जल संचयन और अन्य पुनर्भरण उपायों का प्रचार करना।
- जल निकासी संबंधी बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने के लिए जलभराव की समस्या, जलभराव के कारण स्वास्थ्य और कृषि पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव, पीने के पानी के आभाव और पशुपालन संबंधी समस्याओं को संबोधित करना।
- ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पारंपरिक ईंधन और जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) पर निर्भरता कम करके बायोगैस और सौर कुकस्टोव जैसे स्थायी विकल्पों को अपनाना।
- अन्य जगहों सहित घरों और सार्वजनिक क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) और सोलर रूफटॉप स्थापना, सौर-संचालित पंप, ऊर्जा कुशल पंप जैसे ऊर्जा कुशल समाधानों का उपयोग करना।

कमजोर क्षेत्रों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और क्षेत्र सर्वेक्षणों से उभरने वाले मुद्दों और ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, कार्ययोजना में विभिन्न गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। गतिविधियों में जल, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, हरित स्थानों को बढ़ाना, सतत अपशिष्ट प्रबंधन, सतत गतिशीलता और आजीविका और हरित उद्यमशीलता के विषयगत क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

इन संस्तुतियों के अंतर्गत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है- चरण I (2024-27), चरण II (2027-30) और चरण III (2030-35)। चरण-वार लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेक के अनुसार वार्षिक लक्ष्यों में वितरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चरण-वार लक्ष्य, संभावित लागत, केंद्रीय और राज्य योजनाओं का समर्थन करने के साथ-साथ सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते भी बताए गए हैं।

जवाहर नगर पुरसारी के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे जवाहर नगर पुरसारी ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) निम्नलिखित द्वारा जवाहर नगर पुरसारी जीपीडीपी को पूरक और संपूरित करेगी:

- जलवायु परिप्रेक्ष्य के साथ मौजूदा विकास प्रयासों पहलों और गतिविधियों को व्यापक आधार देना।
- जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों का समन्वय करना।

इस कार्ययोजना में हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को जवाहर नगर पुरसारी की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ जोड़ते हुए लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा आवंटित बजट का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकाय कार्याकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार) के 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा' विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।


इस योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से कम होने वाले कुल उत्सर्जन का अनुमान प्रति वर्ष लगभग 2,239 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) है और अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 1,90,000 tCO₂ तक बढ़ सकती है। तीन चरणों में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹20 करोड़ (11 वर्ष के लिए) है। इसमें से आवश्यक धनराशि का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹6 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशन/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों से प्राप्त वित्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएसआर को सम्मिलित करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।

वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना



क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



जवाहर नगर पुरसारी

जवाहर नगर पुरसारी ग्राम पंचायत एक दृष्टि में⁴

	स्थान	जैथरा ब्लॉक, एटा जनपद
	कुल क्षेत्रफल	200 हेक्टेयर
	संयोजन	5 राजस्व गांव
	कुल जनसंख्या⁵	2,997
	पुरुषों की संख्या	1,580
	महिलाओं की संख्या	1,417
	कुल परिवारों की संख्या⁶	492
	पंचायत अवसंरचना	5 (पंचायत भवन, 2 प्राथमिक विद्यालय, 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र)
	प्राथमिक आर्थिक गतिविधि	कृषि
	भूमि उपयोग	142 हे० कृषि भूमि 3 हे० वन भूमि 36 हे० सार्वजनिक भूमि 4 हे० कृषि-वानिकी वृक्षारोपण 15 हे० अन्य भूमि 3 फल वाटिका
	जल संसाधन	1 नदी 5 तालाब 20 कुएं
	कृषि-जलवायु क्षेत्र⁷	दक्षिण-पश्चिमी अर्ध-शुष्क जलवायु परिस्थितियाँ: आमतौर पर, भीषण गर्मी और ठंडी सर्दियों के साथ अर्ध-शुष्क से उप-आर्द्र के बीच अधिकतम तापमान: 47 °C न्यूनतम तापमान: 4 °C औसत वार्षिक वर्षा: 662 मिमी मिट्टी: जलोढ़ उपयुक्त फसल: गेहूं और दालें
	जिले की समग्र संवेदनशीलता	बहुत अधिक
	जिले की क्षेत्रीय संवेदनशीलता⁸	वन संवेदनशीलता: बहुत अधिक जल संवेदनशीलता: अधिक ऊर्जा संवेदनशीलता: अधिक आपदा प्रबंधन संवेदनशीलता: मध्यम स्वास्थ्य संवेदनशीलता: मध्यम ग्राम्य विकास संवेदनशीलता: मध्यम कृषि विकास संवेदनशीलता: बहुत कम


4 योजना की तैयारी के लिए किए गए फ़ील्ड सर्वेक्षण से आंकड़े (मार्च-अप्रैल, 2023)

5 जनगणना 2011 आंकड़ों के अनुसार: कुल जनसंख्या - 2,258; पुरुष- 1,197; महिला- 1,061



6 445 पक्के घर और 47 कच्चे घर (मिट्टी और भूसे से बने घर)

7 स्रोत: उत्तर प्रदेश कृषि विभाग

8 उत्तर प्रदेश SAPCC 2.0



**जवाहर नगर पुरसारी ग्राम पंचायत
जैथरा ब्लॉक
एटा ज़िला
उत्तर प्रदेश राज्य**



चित्र 1: जवाहर नगर पुरसारी ग्राम पंचायत, एटा ज़िले का भूमि-उपयोग मानचित्र

जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता आंकड़ों - तापमान और वर्षा⁹ से ज्ञात होता है कि 1994 की तुलना में 2018 में वार्षिक औसत अधिकतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक था जबकि 2018 में वार्षिक औसत न्यूनतम तापमान 1994 के तापमान स्तर से ऊपर था (चित्र- 2 देखें)। इसी समयावधि के दौरान, वार्षिक वर्षा में गिरावट आई¹⁰ (चित्र- 3 देखें)। हालाँकि, आईएमडी आंकड़ें पंचायत स्तर पर तापमान परिवर्तनशीलता को सम्मिलित नहीं करते हैं और इसके अतिरिक्त, ऐसे दिन भी हैं जिनके लिए आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच समग्र रूप से एशिया सम्पूर्ण विश्व की भूमि और महासागर के सापेक्ष औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है और 2010-2020¹¹ के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है। इसी तरह के निष्कर्ष की पुष्टि जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी)¹² और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार (एमओईएस) के द्वारा भी की गयी है¹³।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से मौसम परिवर्तन के विषय में समुदाय के विचारों से पता चलता है, कि 2010-2020 के दशक में, ग्राम पंचायत में गर्मी के दिनों की संख्या में औसतन 30 दिनों की वृद्धि देखी गई है। सर्दी के दिनों की संख्या लगभग 30 दिन कम हुई है। साथ ही, बारिश के दिनों की संख्या में भी लगभग 30 दिनों की कमी आई है। ग्राम पंचायत हेतु किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता विश्लेषण में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) आंकड़ों के साथ-साथ ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया है।


9 फर्रुखाबाद (फतेहगढ़) मौसम निगरानी स्टेशन से तापमान और वर्षा डेटा लिया गया है, जो जवाहर नगर पुरसारी का निकटतम स्टेशन था जिसके लिए डेटा उपलब्ध था।

10 तापमान आंकड़ें केवल 1994 से उपलब्ध हैं। 2008 और 2009 के लिए जलवायु आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं।


11 एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 (wmo.int)

12 AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch)

13 भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), भारत सरकार की एक रिपोर्ट | स्प्रिंगरलिक (<https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-4327-2>)



चित्र 2: जवाहर नगर पुरसारी में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1994-2018




चित्र 3: जवाहर नगर पुरसारी में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1994- 2018

प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ


ग्राम पंचायत में कृषि आय का प्राथमिक स्रोत है, जिससे लगभग 68 प्रतिशत परिवार जुड़े हुए हैं (चित्र 4 देखें)। बाकी के परिवार गैर-कृषि मजदूरी (~ 19 प्रतिशत) और पशुपालन (~ 9 प्रतिशत) से जुड़े हुए हैं। शेष अन्य परिवार सेवा क्षेत्र, स्थानीय व्यवसायों आदि में संलग्न हैं।

प्राथमिक सर्वेक्षण की सहायता से परिवारों की वार्षिक आय की जानकारी ली गयी जिसमें बड़ी संख्या में परिवारों (70 प्रतिशत) की आय प्रति वर्ष ₹50,000 से कम है, इसके सापेक्ष बहुत छोटी संख्या में परिवार (2 प्रतिशत) ₹5,00,000 से अधिक कमाते हैं (चित्र 5 देखें)। सर्वेक्षण के समय, ग्राम पंचायत में 8 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) है। ग्राम पंचायत में लगभग 42 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक वितरण योजनाओं (पीडीएस) से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उनके पास राशन कार्ड हैं। कुल राशन कार्डधारी परिवारों में से लगभग 40 प्रतिशत परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड हैं¹⁴ (चित्र 6)।




चित्र 4: जवाहर नगर पुरसारी में परिवारों के आय के स्रोत

14 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल



चित्र 5: जवाहर नगर पुरसारी में घरेलू स्तर पर आय का अनुमान




चित्र 6: जवाहर नगर पुरसारी में राशन कार्ड वाले परिवार

कार्यरत महिलाएं

जवाहर नगर पुरसारी में लगभग 212 कामकाजी महिलाएं हैं¹⁵ जिनमें से अधिकतर कृषि संबंधी कार्यों से जुड़ी हुई हैं। कुछ महिलाएँ सेवा क्षेत्र जैसे शिक्षण से जुड़ी हुई हैं। पंचायत में 40 परिवार ऐसे हैं जिनकी मुखिया महिला हैं¹⁶ (कुल परिवारों का 8 प्रतिशत)। क्षेत्र सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि पंचायत में 3 स्वयं सहायता समूह हैं जो अधिकतर सिलाई संबंधी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं।

कृषि

जवाहर नगर पुरसारी में लगभग 68% परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। जवाहर नगर पुरसारी में शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 142 हेक्टेयर है जबकि सकल फसल क्षेत्र ~186 हेक्टेयर है (चित्र 7 देखें)। क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ़ फ़सलें धान, मूंगफली और बाजरा हैं। प्रमुख रबी फसलें गेहूं, सरसों और आलू हैं। सिंचाई का मुख्य स्रोत भूजल है (ट्यूबवेल के माध्यम से)। ग्राम पंचायत में 20 ग्रिड से जुड़े इलेक्ट्रिक पंप का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत की केवल 8 प्रतिशत आबादी पशुपालन से जुड़ी हुई है। जवाहर नगर पुरसारी में कुल पशुधन आबादी 365 (80 गाय, 200 भैंस, 50 बकरियां और 35 सूअर) है।



चित्र 7: जवाहर नगर पुरसारी में सकल फसल क्षेत्र का फसल वार वितरण

¹⁵ ग्राम प्रधान द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित

¹⁶ महिला प्रधान परिवार वे परिवार होते हैं जहां महिलाएं एकमात्र/मुख्य कमाने वाली होती हैं

प्राकृतिक संसाधन

क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, जवाहर नगर पुरसारी में 5 तालाब, 20 कुएँ और 1 नदी है। एक तालाब का विकास अमृत सरोवर के रूप में किया जा रहा है। ~4 हे० भूमि में सामाजिक वन वृक्षारोपण किया जा रहा है। वृक्षारोपण गतिविधियाँ आमतौर पर जुलाई/अगस्त के महीने में की जाती हैं और इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से किया जाता है। ज्यादातर बागानों में उगाए जाने वाले पेड़ों में आम, नीम, कांजी, अमरुद, जामुन, पाखर और पीपल सम्मिलित हैं (इनकी औसत जीवित रहने की दर 50 प्रतिशत है)¹⁷।



17 जैसा कि फील्ड सर्वे के दौरान बताया गया

जवाहर नगर पुरसारी में सुविधाएं

बिजली और रसोई गैस (एलपीजी)

- बिजली कनेक्शन: ~ 90% परिवार
- रसोई गैस कनेक्शन: 100% परिवार

जल

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत स्तर की आपूर्ति के लिए पानी का मुख्य स्रोत: भूजल
- 80% घरों में पाइप से जलापूर्ति¹⁸
- हैंडपंप - 40 (सरकारी); 415 (निजी)

अपशिष्ट

- पंचायत खुले में शौच से मुक्त अर्थात् ओडीएफ़ (ODF) है।
- घरेलू शौचालय कवरेज: ~ 20%

आवागमन और बाजार तक पहुंच


- राज्य राजमार्ग (एटा अलीगंज) 15 किलोमीटर दूरी पर है
- राज्य राजमार्ग (मैनपुरी बरेली) 9 किलोमीटर दूरी पर है
- रेलवे स्टेशन 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है
- बस स्टेशन 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है
- कृषि मंडी 16 किलोमीटर की दूरी पर है
- ग्राम पंचायत में राशन दुकान
- पोस्ट ऑफिस 2 किलोमीटर की दूरी पर है

शैक्षणिक संस्थान

- 2 प्राथमिक विद्यालय
- 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय

स्वास्थ्य संस्थान

- 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
- 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र




¹⁸ ग्राम प्रधान की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक जलापूर्ति शुरू नहीं की गई है

हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (दूसरे शब्दों में, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, यह अभ्यास ग्राम पंचायत की संपूर्ण आधार रेखा विकसित करने के लिए किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कार्ययोजना का उद्देश्य कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत नहीं, अपितु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालाँकि, संस्तुतियों में उत्सर्जन में कमी के लाभ को सम्मिलित किया गया है जो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या हवा में कार्बन से होने प्रदूषण को लगभग समाप्त करने में मदद करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) अनुमान सम्मिलित नहीं किए गए हैं।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए संस्तुतियाँ प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2022 में, जवाहर नगर पुरसारी ग्राम पंचायत ने विभिन्न गतिविधियों से लगभग 902 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) उत्सर्जित किया (चित्र 8 देखें)।

कृषि, ऊर्जा और अपशिष्ट क्षेत्रों में घटित गतिविधियों ने जवाहर नगर पुरसारी के कार्बन फुटप्रिंट में मुख्य योगदान दिया। कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन में धान की खेती, कृषि क्षेत्रों में उर्वरक का उपयोग, पशुधन और खाद प्रबंधन से उत्सर्जन और फसल अवशेष जलाने के कारण होने वाला उत्सर्जन सम्मिलित हैं। ऊर्जा क्षेत्र का उत्सर्जन बिजली की खपत¹⁹, खाना पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी और रसोई गैस (एलपीजी) के उपयोग, सिंचाई के लिए डीजल पंपों का उपयोग, पावर बैकअप के लिए जनरेटर का उपयोग और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीज़ल) के उपयोग के कारण होता है। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।



चित्र 8: 2022 में जवाहर नगर पुरसारी में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

ग्राम पंचायत जवाहर नगर पुरसारी में कृषि क्षेत्र का योगदान कुल उत्सर्जन का 54 प्रतिशत है, जिसमें पशुधन (~207 tCO₂e) और धान की खेती (~138 tCO₂e) से उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन के प्रमुख कारण हैं। कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा 32 प्रतिशत है। ऊर्जा क्षेत्र के भीतर, परिवहन प्रमुख उत्सर्जक है (~129 tCO₂e), इसके बाद आवासीय खाना पकाना (~105 tCO₂e), बिजली की खपत (~44 tCO₂e) और आवासीय जनरेटर (~14 tCO₂e) आते हैं। कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट क्षेत्र की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत है।



चित्र 9: 2022 में जवाहर नगर पुरसारी के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

19 बिजली की खपत से हुए उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि बिजली उत्पन्न करने के लिए (कोयला) दहन ग्राम पंचायत के बाहर होता है

ग्राम पंचायत के व्यापक मुद्दों की पहचान ग्राम पंचायत से एकत्र किए आंकड़ों और पंचायत की एक बेसलाइन तैयार करने के लिए आंकड़ों के लिए गए विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें ग्राम पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त जानकारी और समूह केन्द्रित चर्चा के आधार पर की गयी है।

जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी आंकड़ों/स्रोतों से की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय की जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दे एवं गतिविधियां अनुभाग के संबंधित विषयों में सूचीबद्ध हैं।

व्यापक मुद्दे:

- मौसम की अवधि में बदलाव और अनियमित वर्षा से ग्राम पंचायत में अन्य प्रभावों के साथ-साथ बुआई का समय, कटाई का समय और फसलों की सिंचाई की आवश्यकताएँ भी प्रभावित हो रही हैं।
- अगस्त से सितम्बर तक जलजमाव की समस्या होती है। वर्ष 2022 में ग्राम पंचायत को सूखे का सामना करना पड़ा था
- अस्थाई कृषि और पशुपालन पद्धतियाँ
- पर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन के अभाव में कचरे को सार्वजनिक क्षेत्रों, कुओं और तालाबों में फेंका जाता है
- सीमित घरेलू शौचालय कवरेज
- जल निकायों सहित प्राकृतिक संसाधनों का खराब रखरखाव
- खाना पकाने, कृषि और परिवहन आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता
- सड़क के बुनियादी ढांचों के अपर्याप्त रखरखाव से आवागमन में कठिनाई (जलभराव के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है)
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के विषय पर जागरूकता की कमी
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई सुझाव/संस्तुतियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करते हैं। सुझावों/संस्तुतियों को चरणबद्ध लक्ष्यों और लागत अनुमानों (जहाँ तक संभव हो)²⁰ के साथ वर्णित किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में बांटा गया है: चरण - I (2024-25 से 2026-27); चरण - II (2027-28 से 2029-30); और चरण - III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों का प्रभावी और निगरानीपूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में विभाजित किया जा सकता है। साल-दर-साल लक्ष्य विकसित करने के प्रारूप को 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)' दस्तावेज़ से संदर्भ लेते हुए तैयार किया जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारक द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

पहचाने गए वित्तपोषण के विकल्पों/तरीकों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधि या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) हस्तक्षेप के माध्यम से निजी वित्त की पहचान की गई है। विस्तृत गतिविधियां/संस्तुतियाँ निम्नलिखित अनुभाग में हैं:

कार्य योजना में प्रस्तावित सुझाव/संस्तुतियाँ निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:


1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
2. सतत कृषि
3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
5. स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच
6. सतत एवं उन्नत गतिशीलता
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, सुझावों/संस्तुतियों का हिस्सा न बनाते हुए, पंचायतों हेतु विचार के लिए संभावित प्रयासों/नवाचारों की एक सूची भी सूचीबद्ध की गई है। इन प्रयासों/नवाचारों को भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इन्हें यहां दोहराया भी जा सकता है। हालाँकि, ये प्रयास/नवाचार उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए इन प्रयासों/नवाचारों के लिए धन का वहन समुदायों द्वारा या सीएसआर और निजी स्रोतों की खोज से किया जाएगा। इस कारण से इन्हें मुख्य सुझावों/संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

²⁰ विभिन्न प्रक्रियाओं के आधार पर लागत का अनुमान लगाया गया है जैसे: ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्यों से प्राप्त आदान या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार अनुमानित लागत, या आवश्यक आदानों की प्रति इकाई की अनुमानित लागत या विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूची।

1

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प



संदर्भ एवं मुद्दे²¹

- जवाहर नगर पुरसारी में पानी का प्राथमिक स्रोत भूजल है। लगभग 442 घरों में पाइप कनेक्शन के माध्यम से पानी आता है²²। पंचायत में ऐसे घर भी हैं जो पानी के लिए हैंडपंप पर निर्भर रहते हैं। ग्राम पंचायत में कुल 455 हैंडपंप (सरकारी और निजी सहित) का प्रयोग किया जाता है।
- ग्राम पंचायत में 5 तालाब²³, 20 कुएँ और 1 नदी हैं। हालांकि, इन तालाबों और कुओं का उचित रखरखाव नहीं किया जा रहा है और वे गाद, मलबे, खरपतवार और प्लास्टिक से भरे हुए हैं। गांव के लोगों ने बताया कि²⁴ 3 तालाबों में अतिक्रमण है और इसलिए इनकी सफ़ाई और जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। इससे पानी की गुणवत्ता गिर गयी है और लोगों में बीमारियां फैलती हैं।
- जवाहर नगर पुरसारी में जलजमाव की गंभीर समस्या है, विशेषकर अगस्त से अक्टूबर में वर्षा के महीनों के दौरान। जल निकासी संबंधी बुनियादी ढांचों के अप्रभावी और उनके खराब रखरखाव के कारण यह समस्या और भी गंभीर बन जाती है।
- जवाहर नगर पुरसारी सिंचाई के लिए पानी के मौसमी स्रोतों पर निर्भर रहता है और निवासियों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से खेती संबंधी कार्यों के लिए पानी की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है।

भूजल पर निर्भरता और सूखे की लगातार घटनाएं जल संरक्षण और भूजल संसाधनों को फिर से भरने/पुनर्जीवित करने के लिए वाटरशेड प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को प्रदर्शित करती हैं। जवाहर नगर पुरसारी में संवेदनशीलता को कम करने, लचीलापन बनाने और जल उपलब्धता में सुधार के लिए निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित हैं।

21 क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी और अन्य प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्ट किया गया

22 ग्राम पंचायत के अनुसार हालांकि घरों में पाइप कनेक्शन हैं, उनमें पानी की आपूर्ति अभी तक नहीं आई है

23 पियरी तालाब, चरक का तालाब, धुबियाई तालाब, महोनी तालाब और जमुनी तालाब जिनमें से पियरी तालाब का विकास अमृत सरोवर के रूप में किया जा रहा है।

24 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आदानों के अनुसार



जल निकायों का पुनरुद्धार एवं संरक्षण

चरण

I

2024-25 से 2026-27

1. तालाबों और कुओं की सफाई करना, गाद निकालना और चारों ओर बाड़ लगाना
2. पानी की उपलब्धता में सुधार के लिए हैंडपंपों की रिबोरिंग करना
3. जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण।
4. जल के उचित उपयोग और जल संरक्षण में सुधार के लिए विभिन्न सामुदायिक समूहों के मध्य जागरूकता बढ़ाने हेतु मौजूदा ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) का क्षमता विकास करना।

II

2027-28 से 2029-30

1. तालाबों का नियमित रखरखाव किया जाना
2. कुओं और हैंडपंपों का रखरखाव
3. तालाबों के आसपास अतिरिक्त वृक्षारोपण का कार्य
4. समुदाय और अन्य हितधारकों के क्षमता विकास का कार्य

III

2030-31 से 2034-35

तालाबों का नियमित रखरखाव किया जाना

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां

लक्ष्य

1. 4 तालाबों की सफाई एवं गाद निकालने का कार्य
2. 10 कुओं सफाई और मरम्मत
3. 15 हैंडपंपों की रिबोरिंग का कार्य
4. तालाबों के आसपास ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ों का रोपण

1. 4 तालाबों के रखरखाव का कार्य
2. 10 कुओं और हैंडपंपों के रखरखाव का कार्य
3. तालाबों के आसपास अतिरिक्त 1,000 पेड़ लगाए जाने का कार्य

4 तालाबों के रखरखाव का निर्माण कार्य

अनुमानित लागत

1. तालाबों की सफाई करना और गाद निकालना: ₹28,00,000
 2. कुओं की सफाई और मरम्मत: ₹7,50,000
 3. हैंडपंपों की रिबोरिंग: ₹6,00,000
 4. जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना" अनुभाग में सम्मिलित है:
- कुल लागत: ₹41,50,000

1. तालाबों के रखरखाव का कार्य ₹15,00,000
 2. कुओं और हैंडपंपों का रखरखाव: आवश्यकता के अनुसार
 3. जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित स्थानों और जैव विविधता को बढ़ाना" अनुभाग में सम्मिलित है:
- कुल लागत: ₹15,00,000

तालाबों के रखरखाव का कार्य ₹15,00,000
कुल लागत: ₹15,00,000



जल निकासी संबंधी बुनियादी ढांचो का सुदृढीकरण

चरण

I

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां

1. नई नालियों का निर्माण
2. मौजूदा नालियों की सफाई, गाद निकालने और मरम्मत का कार्य²⁵

चरण I की गतिविधियां जारी हैं

चरण I की गतिविधियां जारी हैं

लक्ष्य

1. 4 स्थानों में नालियों का निर्माण जिनकी कुल लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर है
2. 2 किलोमीटर लंबी मौजूदा नालियों की सफाई

ग्राम पंचायत में मौजूदा नालियों के नियमित रखरखाव का कार्य

ग्राम पंचायत में मौजूदा नालियों के नियमित रखरखाव का कार्य

अनुमानित लागत

1. नालियों का निर्माण ₹66,00,000
 2. मौजूदा नालियों की सफाई: ₹20,00,000
- कुल लागत: ₹86,00,000

आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार



वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच)

चरण

I

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां

1. पंचायत में स्थित सरकारी भवनों (पीआरआई) में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना का कार्य
2. भूजल पुनर्भरण के लिए पुनर्भरण गड्ढों के निर्माण का कार्य
3. सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना

1. 1,500 वर्ग फुट से अधिक भूखंड के आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना
2. चिन्हित जलग्रहण क्षेत्रों (जहां वर्षा का जल एकत्र होता है) में अधिक पुनर्भरण गड्ढों/खाइयों की खुदाई
3. सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना

1. 1,000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना
2. सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना

25 नालियों (नई और मौजूदा) के सटीक स्थान देखने के लिए एचआरवीसीए देखें

लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> 1. पंचायत में स्थित सभी सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच)-भंडारण क्षमता 10 घन मीटर के पुनर्भरण गड्ढों (रिचार्ज पिट) की स्थापना। 2. भूजल पुनर्भरण के लिए 15 पुनर्भरण गड्ढों के निर्माण का कार्य ²⁶ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100 पक्के घरों में 10 घन मीटर की औसत भंडारण क्षमता के साथ वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं स्थापित किया जाना 2. आवश्यकतानुसार अधिक पुनर्भरण गड्ढों (रीचार्ज पिट) की खुदाई का कार्य 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100 पक्के घरों में 10 घन मीटर की औसत भंडारण क्षमता के साथ वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं स्थापित किया जाना 2. पुनर्भरण गड्ढों (रीचार्ज पिट) के रखरखाव का कार्य
---	---	---

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> 1. आरडब्ल्यूएच: 5 इकाइयों के लिए ₹1,75,000 2. 15 रिचार्ज गड्ढे: ₹5,25,000 <p>कुल लागत: ₹7,00,000</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. आरडब्ल्यूएच: 100 इकाइयों के लिए ₹35,00,000 2. रिचार्ज पिट: लागत आवश्यकतानुसार <p>कुल लागत: ₹35,00,000</p>	<p>आरडब्ल्यूएच: 100 इकाइयों के लिए ₹35,00,000</p> <p>कुल लागत: ₹35,00,000</p>
---	---	---

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान द्वारा उपलब्ध प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत 30 प्र० राज्य के वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय संरक्षण और जीर्णोद्धार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत मनरेगा और वाटरशेड विकास घटक के वार्षिक बजट का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- जल निकायों और कुओं के अनुरक्षण और रखरखाव में योगदान देने के लिए कॉर्पोरेट एजेंसियों के सीएसआर मद को 'जल निकाय को अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग

²⁶ समुदाय द्वारा प्रस्तुत आवश्यकता के अनुसार। विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

2 सतत कृषि



संदर्भ एवं मुद्दे²⁷

- जवाहर नगर पुरसारी में कृषि क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल ~ 142 हेक्टेयर है और सकल फसल क्षेत्र लगभग 186 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में 68% परिवार कृषि पर निर्भर हैं और ~9% परिवार आय के स्रोत के रूप में पशुपालन पर निर्भर हैं।
- उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गेहूं (~61 हेक्टेयर), धान (~40 हेक्टेयर), सरसों (~40 हेक्टेयर), आलू (~20 हेक्टेयर), बाजरा (~20 हेक्टेयर) और मूंगफली (~4 हेक्टेयर) हैं। यहां सब्जियाँ उगाई जाती हैं; हालांकि, ये केवल व्यक्तिगत खपत के लिए ही उगाई जाती हैं।
- जवाहर नगर पुरसारी में मौसम की अवधि, वर्षा चक्र में बदलाव हुए हैं और हाल ही में सूखा भी पड़ा है; इस ग्राम पंचायत ने 2022 के जुलाई/अगस्त के महीनों में सूखे का अनुभव किया। इन बदलावों के परिणामस्वरूप, मानसून देर से आता है जिससे धान की बुआई का समय जून के प्रारम्भ आती दिनों से अगस्त में स्थानांतरित हो गया है। इसी प्रकार, सर्दी के देर से आने के कारण गेहूं की बुआई का समय मध्य नवंबर से दिसंबर के पहले सप्ताह में स्थानांतरित हो गया है।
- किसान प्रति वर्ष 63 टन यूरिया और अन्य नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं जिससे प्रति वर्ष ~118 टन CO₂e का ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) का उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशी जैसे अन्य रासायनिक आदानों पर भी निर्भर हैं।
- जवाहर नगर पुरसारी में प्राकृतिक खेती नहीं की जाती है।
- जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण में बताया गया है, कृषि में जल के प्रयोग में वृद्धि हुई है, जिसके कारण जल संरक्षण और बेहतर सिंचाई तकनीकों के उपयोग पर जोर दिये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त बिंदु अनुकूली क्षमता बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

²⁷ क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी और अन्य प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्ट किया गया



कृषि में जलवायु लचीलेपन का विकास

चरण

I

2024-25 से 2026-27

1. उपयुक्त कृषि भूमि में सूक्ष्म सिंचाई प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपनाना²⁸
2. खेतों के चारों ओर पेड़ों से मेड़बंधी
3. फसल में पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए चावल की सूखा प्रतिरोधी किस्म और ड्राइ डाइरेक्ट सीडेड राइस को अपनाना
4. गेहूं की सूखा सहन करने वाली किस्म को अपनाना
5. बाजरा संबंधी फसलों की खेती का विस्तार करना
6. जहां संभव हो खेत तालाब बनाकर कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देना
7. किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना

II

2027-28 से 2029-30

1. सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना
2. मेड़बंधी/बंधों का विस्तार करना
3. आवश्यकतानुसार अधिक खेत तालाबों का निर्माण
4. सूखा सहन करने वाली चावल और गेहूं की किस्मों को अपनाने के लिए चरण I गतिविधियों का विस्तार करना
5. बाजरा और फ़लियों जैसी अकाल सहने योग्य फ़सलों सहित फ़सल परिक्रमण और मिश्रित फ़सल अपनाना
6. जागरूकता बढ़ाने वाले प्रयासों को जारी रखना और किसानों को फसल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए सहायता प्रदान करना

III

2030-31 से 2034-35

1. सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना
2. सूखा सहन करने वाली चावल और गेहूं की किस्मों को अपनाने के लिए चरण II की गतिविधियों का विस्तार करना

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां

लक्ष्य

1. ~20 हेक्टेयर (30%) में सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां प्रारम्भ करना²⁹
2. कृषि भूमि के ~71 हेक्टेयर (50%) में मेड़बंधी का निर्माण करना
3. यथासंभव और आवश्यकतानुसार 300 घन मीटर क्षमता के खेत तालाबों का निर्माण करना

1. उपयुक्त कृषि भूमि में अतिरिक्त ~26 हेक्टेयर (संचयी 70%) में सूक्ष्म सिंचाई करना
2. शेष 71 हेक्टेयर कृषि भूमि (100%) के चारों ओर में मेड़बंधी का निर्माण करना

1. उपयुक्त कृषि भूमि में अतिरिक्त ~ 19 हेक्टेयर (संचयी 100%) में सूक्ष्म सिंचाई करना
2. मेड़बंधी और खेत तालाबों का रखरखाव करना

अनुमानित लागत

1. सूक्ष्म सिंचाई: ₹20,00,000
 2. मेड़बंधी: ₹1,26,450
 3. 300 घन मीटर क्षमता के 1 खेत तालाब के निर्माण की लागत: ₹90,000
- कुल लागत: ₹21,26,450

1. सूक्ष्म सिंचाई: ₹26,00,000
 2. मेड़बंधी: ₹1,26,450
 3. कृषि तालाब - आवश्यकता के अनुसार लागत
- कुल लागत: ₹27,26,450

- सूक्ष्म सिंचाई: ₹19,00,000
कुल लागत: ₹19,00,000

28 उपयुक्त कृषि भूमि में सरसों, आलू, मूंगफली और अन्य सब्जियों के अंतर्गत भूमि आती है

29 आलू, मूंगफली और सरसों के अंतर्गत कृषि भूमि को माना गया है: ~ 65 हेक्टेयर



प्राकृतिक खेती अपनाना

चरण

I

2024-25 से 2026-27

1. जैविक उर्वरक, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना।
 - » प्रशिक्षण और प्रदर्शन
 - » नर्सरी एवं स्थानीय बीज बैंक का विकास
 - » जैविक/प्राकृतिक खेती प्रमाणन प्रक्रिया प्रारम्भ करना
 - » बाजार सम्पर्क का पता लगाया जाना
2. मिश्रित फसल, फसल चक्र, मल्लिचिंग, जीरो टिलेज जैसी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और अपनाना

II

2027-28 से 2029-30

1. कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना जारी रखना (नर्सरी, बीज बैंक, प्रमाणीकरण तंत्र और बाजार संपर्क स्थापित करना)
2. चरण I में क्रियान्वित प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपनाना

III

2030-31 से 2034-35

कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करने का 100% विस्तार

प्रस्तावित क्वाड्रेंट स्मार्ट गतिविधियां

लक्ष्य

~21 हेक्टेयर (15%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

~36 हेक्टेयर (संचयी 40%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

शेष ~85 हेक्टेयर (संचयी 100%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

अनुमानित लागत

1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000
 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹51,89,100
- कुल लागत: ₹52,49,100

1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000
 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹88,95,600
- कुल लागत: ₹89,55,600

1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000
 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹2,10,03,500
- कुल लागत: ₹2,10,63,500



सतत पशुधन प्रबंधन

चरण

प्रस्तावित क्वाड्रेंट स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

अनुमानित
लागत

I

2024-25 से 2026-27

1. पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना
2. पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षित करना
3. पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर हस्तक्षेप के लिए अनुभाग विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियाँ की सूची देखें।

II

2027-28 से 2029-30

1. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार
2. आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना

III

2030-31 से 2034-35

1. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार
2. आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना

1. पशुपालन में संलग्न परिवारों के लिए स्थायी/सतत पालन क्रियाएँ/प्रथाओं, बीमारी की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएँ आयोजित करना
2. 2 पैरा-वेट्स का प्रशिक्षण³⁰

1. रोग की रोकथाम और स्थायी/सतत पालन क्रियाएँ/प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना
2. पशुपालन में संलग्न परिवारों के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

1. रोग की रोकथाम और स्थायी/सतत पालन क्रियाएँ/प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना
2. पशुपालन में संलग्न परिवारों के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

कार्यशाला और पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), उ.प्र. बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सूखा प्रबंधन और प्रूफिंग प्रक्रियाओं का समर्थन किया जा सकता है।
- सूखारोधी गतिविधियों, नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है
- जैविक खेती प्रथाओं को विभिन्न योजनाओं जैसे: परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।

³⁰ प्रशिक्षण दिए जाने वाले समुदाय आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या ग्राम पंचायत की आवश्यकता पर आधारित है

- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (एनसीओएफ और आरसीओएफ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों को सहायता करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशुचिकित्सक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में मदद करने के लिए कोल्ड-स्टोरेज सुविधा की स्थापना और संचालन ("स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप) करना।
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक सुझाव, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार लिंकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, सूखारोधी कृषि और सतत पशुधन प्रबंधन, अंततः जैविक खेती में परिवर्तन सहित क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- साथ ही, जवाहर नगर पुरसरी में सतत कृषि करने वाले किसानों, एफपीओ (FPO), स्वयं सहायता समूहों, और अन्य समुदाय के सदस्यों के क्षमता निर्माण का कार्य क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ (CSO) और कंपनियों के सहयोग से किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए)
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)
- जैविक खेती हेतु क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केंद्र, एटा

3 हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना



संदर्भ एवं मुद्दे³¹

- ग्राम पंचायत में ~ 3 हेक्टेयर सीमांकित वन भूमि भी है।
- जवाहर नगर पुरसारी में ~ 4 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण कार्य किया गया है। उगाए जाने वाले पेड़ों की प्रजातियाँ हैं: आम, नीम, कांजी, अमरुद, जामुन, पाकड़, और पीपल (इनके जीवित रहने की दर 50% है)³²। ग्राम पंचायत में विकसित किए जाने वाले अमृत सरोवर के आस-पास भी वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है।
- जवाहर नगर पुरसारी में 3 बगीचे हैं जहाँ आम के पेड़ उगाए जाते हैं

जवाहर नगर पुरसारी में कुछ सार्वजनिक भूमि उपलब्ध है, जहाँ इस प्रकार की अतिरिक्त गतिविधियाँ कर ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्रों का विस्तार किया जा सकता है। यह न केवल बढ़ते तापमान में सुधार करेगा और छाया प्रदान करेगा अपितु ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अलावा, लंबी अवधि में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में भी सुधार करेगा



हरित क्षेत्रों/आवरण में सुधार

चरण

प्रस्तावित क्वाड्रेंट स्मार्ट गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> विभिन्न प्रयासों के माध्यम से वार्षिक समुदाय-आधारित वृक्षारोपण गतिविधियाँ³³: <ul style="list-style-type: none"> छात्रों के लिए ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम³⁴ (5 छात्र चयनित) देशी फलों के पेड़ लगाकर खाद्य वन का निर्माण आरोग्य वन तैयार करना - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों का रोपण³⁵ 	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा वृक्षारोपण को संरक्षित रखना बाल वन³⁶ के निर्माण के साथ वृक्षारोपण गतिविधियाँ जारी रखना और उनमें वृद्धि करना किसानों को कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना आरोग्य वन की स्थापना करना 	<ol style="list-style-type: none"> वृक्षारोपण गतिविधियों को जारी रखना और बाल वन, खाद्य वन और अन्य वृक्षारोपण का रखरखाव करना ~81 हेक्टेयर (कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त भूमि का 100%) कृषि-वानिकी के अंतर्गत रखा गया है आरोग्य वन का रखरखाव और प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए इकाइयाँ स्थापित करना

31 क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी और अन्य प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्ट किया गया

32 क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार

33 संलग्नक VI में वृक्षों के नामों की सूची है

34 स्कूली बच्चों से पौधे लगवाए जाएंगे और हर एक कक्षा से छात्र मार्गदर्शकों को चुना जाएगा जो ग्राम पंचायत में अपने जैसे अन्य छात्रों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

35 उपयुक्त पौधों के नाम संलग्नक VI में उल्लिखित हैं

36 नए माता-पिताओं को उनके बच्चे के जन्म के अवसर पर देसी सदाबहार पेड़ों के पौधे दिए जाएंगे और उन्हें अपने बच्चे के साथ-साथ उन पौधों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

लक्ष्य

1. आम और लुप्त हो रहे पेड़ों के 1,000 पौधों का रोपण और कम से कम 65% पौधों को ट्री गार्ड के उपयोग से जीवित रखना सुनिश्चित करना।

रोपित पौधों की 15-20 वर्ष में पृथक्करण क्षमता 5,600 टन CO₂ से 10,000 टन CO₂ होना अनुमानित

2. आरोग्य वन स्थापित करने के लिए लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि का आवंटन/सीमांकन

1. ग्राम पंचायत में सड़कों, रास्तों और जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 1,500 से 2,000 पौधे लगाए जाने का कार्य।

रोपित पौधों की 15-20 वर्ष में पृथक्करण क्षमता 9,800 tCO₂ से 17,500 tCO₂ होना अनुमानित

2. ~32 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी को अपनाया जाना (40% भूमि कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त³⁷), 3,200 पौधों को रोपित किए जाने का कार्य

20 वर्षों में सागौन वृक्षारोपण से पृथक्करण क्षमता = 17,920 tCO₂ से 32,000 tCO₂ होना अनुमानित

3. आरोग्य वन की स्थापना एवं रखरखाव

4. प्राकृतिक दवाओं और पूरकों के निर्माण और विपणन के लिए किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ), महिला समूहों, युवा समूहों का क्षमता विकास

1. पंचायत में 1,500 से 2,000 पौधे और लगाए जाने का कार्य।

रोपित पौधों की 15-20 वर्ष में पृथक्करण क्षमता 9,800 t CO₂ से 17,500 t CO₂ होना अनुमानित

2. कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त शेष भूमि यानी ~49 हेक्टेयर में कृषि-वानिकी को अपनाया जाना और 4,900 पौधों को रोपित किए जाने का कार्य।

20 वर्षों में सागौन वृक्षारोपण से पृथक्करण क्षमता = 27,440 tCO₂ से 49,000 tCO₂ होना अनुमानित

3. आरोग्य वन का रखरखाव और प्राकृतिक दवाओं और पूरकों का उत्पादन जारी रखना

अनुमानित लागत

वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹12,70,000
कुल लागत: ₹12,70,000

1. वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹19,05,000 से ₹25,40,000
2. कृषि-वानिकी गतिविधियाँ: प्रायः ₹12,80,000
कुल लागत: ₹31,85,000 से ₹38,20,000

1. वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹19,05,000 से ₹25,40,000
2. कृषि-वानिकी गतिविधियाँ: प्रायः ₹19,60,000
कुल लागत: ₹38,65,000 से ₹45,00,000

37 गेहूं और आलू (~81 हेक्टेयर) के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि को कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त माना जाता है।



नर्सरी की स्थापना करना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	<ol style="list-style-type: none"> स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को रोजगार देकर ग्राम पंचायत में नर्सरी की स्थापना नर्सरी के रखरखाव और संचालन के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को प्रशिक्षित करना 	नर्सरी का रखरखाव	नर्सरी का रखरखाव
लक्ष्य	ग्राम पंचायत भूमि पर एक नर्सरी स्थापित करना जिससे हरित क्षेत्र में सुधार हो सके और महिलाओं को अतिरिक्त आय भी मिल सके।	1 नर्सरी का रखरखाव	1 नर्सरी का रखरखाव
अनुमानित लागत	नर्सरी के निर्माण और संचालन की लागत: ₹15,00,000 कुल लागत: ₹15,00,000	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार



जन जैवविविधता रजिस्टर

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना लोगों में जन जैवविविधता रजिस्टर के प्रति जागरूकता बढ़ाना 	जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना जारी रखना जागरूकता को मजबूत करना	जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना जारी रखना जागरूकता को मजबूत करना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) का गठन और क्षमता विकास जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन 	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उग्र राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को जोड़ा और संचालित किया जा सकता है।
- उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग के लिए निम्न गतिविधियों हेतु निर्देशित किया जा सकता है:
 - ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी एवं जल संरक्षण गतिविधियाँ।
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को 'श्रमदान' करने में भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:
 - कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ उठाएं।
 - वृक्षारोपण हेतु सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण गतिविधियां ग्राम पंचायत में आरोग्य वन स्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन तथा पंचायत के स्वयं की आय (ओएसआर) से एकत्र राजस्व।
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का लाभ उठाया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग आरोग्य वन के निर्माण और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि 'आजीविका बढ़ाने और हरित उद्यमशीलता को बढ़ावा देने' की संस्तुतियों में वर्णित है।

प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैव विविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ

38 जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। <http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf>

4

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन



संदर्भ एवं मुद्दे³⁹

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू गतिविधियों (घरेलू, सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक स्थानों और वाणिज्यिक क्षेत्रों) से उत्पन्न कुल कचरा लगभग 240 किलोग्राम प्रति दिन है। इसमें से 140 किलोग्राम प्रति दिन बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरा और 100 किलोग्राम प्रति दिन गैर-बायोडिग्रेडेबल/अजैविक कचरा होता है⁴⁰।
- क्षेत्र सर्वेक्षण से पता चला है कि ग्राम पंचायत में सीमित अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण किया जाता है
- ग्राम पंचायत में केवल कुछ घरों में शौचालय हैं (लगभग 20 प्रतिशत)
- ग्राम पंचायत में कुल पशुधन आबादी 330 है (गाय, भैंस और बकरियों सहित) और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 4 टन प्रति दिन है⁴¹। क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आदानों से पता चलता है कि ग्राम पंचायत में सार्वजनिक क्षेत्रों में पशु अपशिष्ट पड़े रहने की समस्या है (इसे बायोगैस संयंत्र के निर्माण द्वारा सुलझाया जा सकता है "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग देखें)।

इस पृष्ठभूमि में 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

39 क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी और अन्य प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्ट किया गया

40 अनुमान पद्धति के लिए अनुबंध IV देखें

41 माना जा रहा है कि गायें प्रति दिन 10 किलो, भैंस प्रति दिन 15 किलो और बकरी प्रति दिन 150 ग्राम गोबर पैदा करती है



अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

चरण

प्रस्तावित क्वाइमेट स्मार्ट गतिविधियां

लक्ष्य

अनुमानित लागत

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> गैर-बायोडिग्रेडेबल/अजैविक कचरे के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा स्थापित करना घरों से ग्राम पंचायत स्तर की भंडारण सुविधा तक कचरे के संग्रहण और परिवहन के लिए 1 इलेक्ट्रिक वाहन चयनित स्थानों पर कचरा संग्रहण हेतु कूड़ेदान की स्थापना पंचायत, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, स्थानीय स्कैप डीलरों, स्थानीय व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच साझेदारी स्थापित करना 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव स्थापित मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार नए रणनीतिक/चयनित स्थानों पर कूड़ेदानों की अतिरिक्त स्थापना ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत स्तर का रखरखाव: पृथक्करण और भंडारण की सुविधा स्थापित मौजूदा कूड़ादानों का रखरखाव ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना
	<ol style="list-style-type: none"> दैनिक कचरा संग्रहण के लिए 1 इलेक्ट्रिक वाहन ग्राम पंचायत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत 492 घर (100%) सम्मिलित हैं रणनीतिक/चयनित स्थानों पर कचरा संग्रहण हेतु 25 कूड़ेदानों की स्थापना⁴² 	मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव	मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव
	<ol style="list-style-type: none"> 1 इलेक्ट्रिक वाहन: ₹1,05,000 25 कूड़ादान/कंटेनर: ₹1,25,000 कुल लागत: ₹2,30,000	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार

42 सटीक स्थानों के लिए एचआरवीसीए देखें



जैविक कचरे का प्रबंधन

चरण

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां

लक्ष्य

अनुमानित लागत

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	<ol style="list-style-type: none"> प्रत्येक गांव में 1 नाडेप और 2 वर्मीकम्पोस्ट गड्ढे स्थापित करना पंचायत और संबंधित हितधारकों के बीच साझेदारी स्थापित करना 	<ol style="list-style-type: none"> बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के निपटान हेतु अतिरिक्त खाद गड्ढे स्थापित करना वर्मीकम्पोस्ट गड्ढों का नियमित रखरखाव ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के निपटान हेतु अतिरिक्त खाद गड्ढे स्थापित करना वर्मीकम्पोस्ट गड्ढों का नियमित रखरखाव ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> प्रत्येक गांव में 10 नाडेप और 20 वर्मीकम्पोस्ट गड्ढे स्थापित करना⁴³ पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल ('आजीविका और हरित उद्यमशीलता बढ़ाना' अनुभाग में विस्तार से बताया गया है): <ul style="list-style-type: none"> » खाद का उत्पादन एवं विक्रय » कृषि अपशिष्ट की बिक्री 	<ol style="list-style-type: none"> घरों, सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और कृषि से निकलने वाले सभी (100%) बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के निपटान हेतु अतिरिक्त खाद गड्ढों की स्थापना। नाडेप और वर्मीकम्पोस्ट गड्ढों का रखरखाव साझेदारी बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> घरों, सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और कृषि से निकलने वाले सभी (100%) बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरे के निपटान हेतु अतिरिक्त खाद गड्ढों की स्थापना। खाद गड्ढों का रखरखाव साझेदारी बढ़ाना
अनुमानित लागत	<p>नाडेप और वर्मीकम्पोस्ट गड्ढों की लागत: ₹3,00,000</p> <p>कुल लागत: ₹3,00,000</p>	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार

43 स्थानों के विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें



एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

चरण

I

2024-25 से 2026-27

1. निम्न हेतु जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन:
 - » ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)
 - » छात्र एवं युवा समूह
 - » समुदाय के सदस्य और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
2. प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों से उत्पाद बनाने के लिए पंचायत महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के बीच साझेदारी मॉडल बनाना ('आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' अनुभाग में विस्तार से बताया गया है)

II

2027-28 से 2029-30

1. नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन
2. ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना

III

2030-31 से 2034-35

1. नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन
2. ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां

1. एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर पूर्ण प्रतिबंध
2. प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद बनाने में 100-120 महिलाओं को जोड़ा जाना (वर्तमान में एसएचजी से जुड़ी 150 महिलाओं में से)

1. एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध बनाए रखना
2. निम्न को जोड़ते हुए ग्रामपंचायत और आस-पास के गांवों में प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में भागीदारी को बढ़ाना:
 - » अतिरिक्त 200 महिलाएं
 - » अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और व्यक्तिगत उद्यमी

1. एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध बनाए रखना
2. विकल्प आसानी से उपलब्ध होने से उपभोक्ता-व्यापी प्लास्टिक का उपयोग कम हो जाता है

लक्ष्य



स्वच्छता संबंधी संरचनाओं को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
प्रस्तावित स्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण	1. सामुदायिक शौचालय का निर्माण 2. सामुदायिक शौचालय का नियमित रखरखाव	1. आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण 2. आवश्यकता के अनुसार सामुदायिक शौचालयों का निर्माण 3. सामुदायिक शौचालय का नियमित रखरखाव
लक्ष्य	50 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण ⁴⁴	1 सामुदायिक शौचालय का निर्माण	सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव
अनुमानित लागत	50 शौचालयों के निर्माण की लागत: ₹3,00,000	1 सामुदायिक शौचालय के निर्माण की लागत: ₹3,00,000	आवश्यकता के अनुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- समुदाय-आधारित खाद सुविधाओं, अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण गड्डों, पृथक्करण और भंडारण शेड के निर्माण के लिए मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है
- बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के अंतर्गत प्रयासों द्वारा समर्थित किया जा सकता है

वित्त के अन्य स्रोत

- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फ्रंड और पंचायत-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल प्लांट, पृथक्करण यार्ड, प्लास्टिक-वैकल्पिक उद्यम, विपणन, अपशिष्ट परिवहन के लिए ई-वाहनों की खरीद आदि जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित और संचालित करने में मदद कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक, खाद प्रक्रियाओं के लिए वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत/सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए टाइड और अनटाइड बजट सहित ग्राम पंचायत की स्वयं की आय से एकत्र राजस्व का उपयोग किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

44 सटीक स्थानों के लिए एचआरवीसीए देखें

5

स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच



संदर्भ एवं मुद्दे⁴⁵

- ग्राम पंचायत जवाहर नगर पुरसारी ने 2022-23 में लगभग 53,764 यूनिट बिजली की खपत की है। ग्राम पंचायत में ~ 90% घरों में बिजली कनेक्शन है, परन्तु जैसा कि समुदाय के सदस्यों द्वारा जानकारी दी गयी है, पंचायत में बिजली की आपूर्ति 24*7 नहीं है। प्रतिदिन औसतन ~8 घंटे बिजली की कटौती होती है।
- बिजली कटौती के कारण, पावर बैकअप के लिए ग्राम पंचायत में 2 डीजल जनरेटर चल रहे हैं और वे सालाना लगभग 5.4 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।
- इंकेंडेसंट लैंप, सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) और अन्य विद्युत स्थिरता और कम दक्षता वाले उपकरण कई घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में उपयोग में हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत ने अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता व्यक्त की है (120 स्ट्रीट लाइट)
- सभी 492 घरों में एलपीजी कनेक्शन⁴⁶ है, लगभग 50% घरों में खाना पकाने के लिए गोबर के उपलों और ईंधन की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में, स्वच्छ खाना पकाने के समाधानों में बदलाव की आवश्यकता है जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी अपितु घरों के भीतर की वायु की गुणवत्ता में सुधार जैसे सह-लाभ भी मिलेंगे
- बढ़ते तापमान के साथ, घरों के भीतर में तापमान बढ़ रहा है जिसके कारण सतत स्थान शीतलन समाधानों की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायत की पहचानी गई ऊर्जा संबंधी समस्याओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार के हाल ही में प्रारम्भ किए गए और साथ ही पूर्व से चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022, अन्य, को संयुक्त रूप से जोड़ते हुए निम्नलिखित समाधान/गतिविधियां जवाहर नगर पुरसारी में क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी अपितु ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

⁴⁵ क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी और अन्य प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्ट किया गया

⁴⁶ ग्राम प्रधान द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित



सोलर रूफटॉप स्थापना

चरण
प्रस्तावित क्लाइमेट
स्मार्ट गतिविधियां

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सभी सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाया जाना ⁴⁷	<ol style="list-style-type: none"> सभी नए भवन निर्माणों को सोलर फोटोवोल्टिक के साथ स्थापित किया जाना सभी पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप लगाया जाना 	<ol style="list-style-type: none"> सभी नए भवन निर्माणों को सोलर फोटोवोल्टिक के साथ स्थापित किया जाना सभी पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप लगाया जाना

लक्ष्य

<p>निम्न सरकारी भवनों में सोलर रूफटॉप स्थापित किया जाना:</p> <ul style="list-style-type: none"> पंचायत भवन (~93 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 10 kWp प्राथमिक विद्यालय (~111 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 10 kWp प्राथमिक विद्यालय (~116 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 10 kWp जूनियर हाई स्कूल (~186 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 10 kWp प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (400 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 10 kWp <p>कुल स्थापित की जाने वाली सोलर रूफटॉप क्षमता: 50 kWp</p> <p>कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: 66,960 kWh प्रति वर्ष (~ 183 यूनिट प्रति दिन)</p> <p>ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष लगभग 55 tCO₂e</p> <p>हाल ही में शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना के बहुत आवश्यक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, छतों पर सोलर फोटोवोल्टिक स्थापना के इस चरण में परिवार भी इसका हिस्सा बन सकते हैं।</p>	<p>197 (40%) पक्के घरों में सौर रूफटॉप की स्थापना⁴⁸</p> <p>स्थापित की जाने वाली सोलर रूफटॉप की क्षमता: 394 kWp</p> <p>कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: 5,27,645 kWh प्रति वर्ष⁴⁹ (1,446 इकाई प्रति दिन)</p> <p>ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष लगभग 433 tCO₂e⁵⁰</p>	<p>शेष 295 (100%) पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप स्थापित किया जाना</p> <p>स्थापित की जाने वाली सोलर रूफटॉप की क्षमता: 590 kWp</p> <p>कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: ~ 7,90,128 kWh प्रति वर्ष⁵¹ (2,165 इकाई प्रति दिन)</p> <p>ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष लगभग 648 tCO₂e</p>
---	--	--

47 सभी सरकारी भवनों में सोलर स्थापना की अधिकतम सीमा 10kWh। 1 किलोवाट ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए लगभग 10 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है।(<https://upneda.org.in/faqs.aspx>)

48 घरों का औसत क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर माना गया है; प्रति घर 3 किलोवाट रूफटॉप स्थापना का अनुमान

49 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में वर्तमान बिजली खपत से कई गुना अधिक है

50 कम हुए उत्सर्जन से ग्राम पंचायत कार्बन न्यूट्रालिटी प्राप्त करने में सक्षम होगा।

51 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में वर्तमान बिजली खपत से कई गुना अधिक है

अनुमानित
लागत

कुल लागत ₹25,00,000 (₹50,000 /kWp)

कुल लागत ₹1,97,00,000
सांकेतिक सब्सिडी⁵²: ~40% (राज्य + केन्द्र)

प्रभावी लागत: ₹1,18,20,000

कुल लागत ₹2,95,00,000
सांकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य + केन्द्र)

प्रभावी लागत: ₹1,77,00,000



कृषि-फोटोवोल्टिक्स

चरण

I

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

प्रस्तावित क्लाइमेट
स्मार्ट गतिविधियां

किसान समूहों आदि के मध्य कृषि-फोटोवोल्टिक्स जागरूकता बढ़ाने का कार्य।

उपयुक्त कृषि भूमि (बागवानी और फलियों वाली फसलों के अंतर्गत) के भाग पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित किया जाना

उपयुक्त कृषि भूमि (बागवानी और फलियों वाली फसलों के अंतर्गत) के भाग पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित किया जाना

लक्ष्य

किसानों के मध्य कृषि-फोटोवोल्टिक पहल को प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियान और उन्मुखीकरण सत्रों का आयोजन करना

2 हेक्टेयर पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित करना
स्थापित क्षमता: 500 kWp
बिजली उत्पादन: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष (~ 1,835 यूनिट प्रति दिन)
ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 549 tCO₂e

2 हेक्टेयर पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित करना
स्थापित क्षमता: 500 kWp
बिजली उत्पादन: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष (~ 1,835 यूनिट प्रति दिन)
ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 549 tCO₂e

अनुमानित
लागत

आवश्यकता के अनुसार

कुल लागत: ₹5,00,00,000⁵³

कुल लागत: ₹5,00,00,000

⁵² सब्सिडी परिवर्तनशील है और इनमें समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। इसलिए, अनुमानित सब्सिडी की राशी पिछले रुझानों और औसत के आधार पर निर्धारित की गई है और वर्तमान में यह सटीक नहीं भी हो सकती है।

⁵³ प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण कृषि-फोटोवोल्टिक्स की लागत में कमी आ रही है। हालाँकि, उच्च स्तर पर लागत का एक रूढ़िवादी अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह अनुमान लगाया गया है कि किसान बागवानी और उस तरह की फसलों के लिए निर्धारित भूमि पर भी फसल चक्र अपनाते हैं। इसलिए, कृषि-फोटोवोल्टिक्स की स्थापना के लिए बागवानी के अंतर्गत उपलब्ध भूमि के एक प्रतिशत पर ही विचार किया गया है।



सौर पंप

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत में ग्रिड से जुड़े विद्युत पंपों का सौर्यीकरण किया जाना सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले सभी नए पंप सेटों की खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना <p>*यदि सौर पंप संभव नहीं हैं, तो ऊर्जा कुशल पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) पर विचार किया जा सकता है।</p>	सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले सभी नए पंप सेटों की खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना	सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले सभी नए पंप सेटों की खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना
लक्ष्य	ग्राम पंचायत में 20 (100%) ग्रिड से जुड़े विद्युत पंपों का सौर्यीकरण किया जाना		
अनुमानित लागत	आवश्यकता के अनुसार		



रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	<ol style="list-style-type: none"> परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी) परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी) परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी) 	<ol style="list-style-type: none"> परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी) परिदृश्य 2: उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी) परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी) <p>सभी नए निर्मित घरों में उन्नत चूल्हे/सौर ऊर्जा संचालित कुकस्टोव और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र को सम्मिलित किया जाना</p>	<ol style="list-style-type: none"> परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी) परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी) परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी) <p>सभी नए निर्मित घरों में उन्नत चूल्हे/सौर ऊर्जा संचालित कुकस्टोव और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र को सम्मिलित किया जाना</p>

लक्ष्य

- परिदृश्य 1: 22 घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग करते हैं (50% घर जिनके पास मवेशी हैं)
- परिदृश्य 2: 10 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग करते हैं (100% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं)
- परिदृश्य 3: 62 घर (25% घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं)

इसमें ग्राम पंचायत में रसोई गैस (एलपीजी) का निरंतर उपयोग भी सम्मिलित है (सभी 492 घरों में रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन है)

- परिदृश्य 1: अतिरिक्त 22 घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग करते हैं (कुल 100% घरों में मवेशी हैं)
- परिदृश्य 2: अतिरिक्त घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग करते हैं (आवश्यकता के अनुसार)
- परिदृश्य 3: 123 घर (50% घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं)

इसमें ग्राम पंचायत में रसोई गैस (एलपीजी) का निरंतर उपयोग भी सम्मिलित है (सभी 492 घरों में रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन है)

- परिदृश्य 1: अतिरिक्त घर बायोगैस संयंत्र का उपयोग करते हैं (आवश्यकता के अनुसार)
- परिदृश्य 2: अतिरिक्त घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग करते हैं (आवश्यकता के अनुसार)
- परिदृश्य 3: शेष 61 घर (100% घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं, वे उन्नत चूल्हों का उपयोग करेंगे)

अनुमानित लागत

- परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹11,07,000 (2 से 3 घन मीटर बायोगैस संयंत्र के लिए ₹50,000)
- परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹4,50,000
- परिदृश्य 3: उन्नत चूल्हों के लिए ₹1,84,500

सभी परिदृश्यों में औसत लागत: ₹5,80,500

- परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹22,00,000
 - परिदृश्य 2: उन्नत चूल्हों के लिए ₹3,69,000
- सभी परिदृश्यों में औसत लागत: ₹12,84,500

उन्नत चूल्हों के लिए ₹1,83,000



ऊर्जा कुशल फिक्स्चर

चरण

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां

लक्ष्य

अनुमानित लागत

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
चरण	<ol style="list-style-type: none"> सभी सरकारी/सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक भवनों (प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी) में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से बदला जाना सभी घरों में कम से कम 1 इनकैंडेसेंट/ सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से बदला जाना अथवा 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना 	<ol style="list-style-type: none"> घरों में सभी इंकैंडेसेंट बल्बों को एलईडी बल्बों से बदला जाना और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदला जाना कम से कम 1 पारंपरिक पंखे को ऊर्जा कुशल पंखे से बदला जाना ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना 	सभी घरों में समस्त पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदला जाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> सभी सरकारी भवनों में सभी ट्यूब लाइट और पंखों (लगभग 50 ट्यूब लाइट और 20 पंखे) को बदलने का कार्य 492 घरों में एलईडी ट्यूब लाइट लगाया जाना⁵⁴ (प्रति घर में 1 ऊर्जा कुशल ट्यूब लाइट) और 492 घरों में एलईडी बल्ब लगाया जाना (प्रति घर में 1 ऊर्जा कुशल बल्ब) 	<ol style="list-style-type: none"> सभी घरों में अतिरिक्त 492 एलईडी बल्ब और 492 एलईडी ट्यूब लाइट लगाया जाना (प्रति घर में 2 बल्ब और 2 ट्यूब लाइट) सभी घरों में 492 ऊर्जा कुशल पंखे लगाया जाना (हर घर में 1 पंखा बदला गया)⁵⁵ 	अतिरिक्त घरों में 492 ऊर्जा कुशल पंखे लगाया जाना (हर घर में 2 पंखे बदले गए)
अनुमानित लागत	<p>एलईडी (LED) बल्ब की लागत: ₹34,440</p> <p>एलईडी (LED) ट्यूब की लागत: ₹1,19,240</p> <p>ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹22,200</p> <p>कुल लागत: ₹1,75,880</p>	<p>एलईडी (LED) बल्ब की लागत: ₹34,440</p> <p>एलईडी (LED) ट्यूब की लागत: ₹1,08,240</p> <p>ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹5,46,120</p> <p>कुल लागत: ₹6,88,800</p>	ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹5,46,120

54 ग्राम प्रधान से प्राप्त आदानों पर आधारित, यह माना जा रहा है कि हर घर में 2 लाइट और 2 पंखे हैं

55 ग्राम प्रधान से प्राप्त आदानों पर आधारित, यह माना जा रहा है कि हर घर में 2 पंखे हैं



सौर स्ट्रीट लाइटें

चरण

I

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां

सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना⁵⁶

सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना

आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइटों का नियमित रखरखाव एवं अधिक स्ट्रीट लाइटों को जोड़ना

लक्ष्य

1. प्रमुख स्थानों (प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, जल निकाय) पर 10 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट स्थापित करना
2. सड़कों और रास्तों के किनारे 15 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना

1. आवश्यकतानुसार प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट स्थापित करना
2. आवश्यकतानुसार सड़कों और रास्तों के किनारे सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना

आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइटों का नियमित रखरखाव एवं अधिक स्ट्रीट लाइटों को जोड़ना

अनुमानित लागत

हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट की लागत: ₹50,000
एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत: ₹1,50,000
कुल लागत: ₹6,50,000

आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 प्रदान करती है:⁵⁷
 - » आवासीय क्षेत्र में सोलर लगाए जाने पर सब्सिडी/अनुदान: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरडी) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त प्रति उपभोक्ता ₹15,000/किलोवाट से अधिकतम सीमा ₹30,000/- तक।
 - » संयंत्र की लागत का 3% परामर्श शुल्क के साथ स्वयं या यूपीनेडा के परामर्श से रेस्को⁵⁸मोड में संस्थानों में सौर स्थापना का प्रावधान।
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के माध्यम से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरडी) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता:
 - » 3 किलोवाट क्षमता तक के रूफटॉप सिस्टम के लिए 40% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी जाएगी। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले रूफटॉप सिस्टम के लिए, 40% का केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) केवल पहले 3 किलोवाट क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से ऊपर (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) 20% तक सीमित होगी।

56 क्षेत्र सर्वेक्षणों के दौरान ग्राम पंचायत से प्राप्त आदानों और ग्राम प्रधान के साथ चर्चाओं पर आधारित

57 https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Uttar_Pradesh_Solar_Energy_Policy_2022.pdf

58 तृतीय पक्ष (रसको मोड) {नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी}

- » ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सामान्य सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए रूफटॉप संयंत्र की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) सीएफए 20% तक सीमित होगी। जीएचएस/आरडब्ल्यूए, हनु सीएफए के लिए पात्र क्षमता 10 किलोवाट प्रति घर तक सीमित होगी और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं होगी।
- » गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप की स्थापना पीएम-सूर्य घर की मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत की जा सकती है⁵⁹। यह योजना 2 किलोवाट सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम के लिए 40% अतिरिक्त सिस्टम लागत प्रदान करती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, अर्थात् 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी होगी।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अनुसार:
 - » पीएम कुसुम योजना का घटक ए, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देता है।
 - » पीएम कुसुम योजना के घटक बी और सी के अंतर्गत, केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक पंप के आधार पर 30% की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10% की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान किशतों में बैंक को किया जा सकता है।
- उ०प्र० सरकार पीएम कुसुम योजना में योगदान:
 - » घटक सी-1 के अंतर्गत: किसानों को 60% सब्सिडी (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70% सब्सिडी) के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सोलराइजेशन; यह एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त है।
 - » घटक सी-2 के अनुसार: एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कृषि फीडर्स का सोलराइजेशन ₹50 लाख प्रति मेगावाट की व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) प्रदान की जाती है।
- ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं:⁶⁰
 - » ईईएसएल अपनी स्वयं की लागत पर पारंपरिक स्ट्रीटलाइट्स को एलईडी स्ट्रीटलाइट्स से बदल देते हैं और 7 साल तक एलईडी बल्बों का मुफ्त बदलने और रखरखाव की सुविधा प्रदान करते हैं।
 - » अटल ज्योति योजना और एमएनआरई सोलर स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम में 12 वॉट एलईडी और 3 दिन के बैटरी बैकअप के साथ सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- ग्राम उजाला योजना⁶¹:
 - » एलईडी बल्ब ₹10 प्रति बल्ब की किफायती कीमत पर उपलब्ध हैं।
 - » ग्रामीण ग्राहकों को काम करने वाले इंकंडेसेंट बल्बों के बदले 7-वाट और 12-वाट के एलईडी बल्ब तीन साल की वारंटी के साथ दिए जाएंगे।
- कोल्ड स्टोरेज स्थापना के लिए सब्सिडी:
 - » परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है
 - कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) लागू कर रहा है।
 - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) 'बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी' नाम से योजना लागू कर रहा है।
 - » प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण बुनियादी ढांचे पर घटक, बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण के लिए 35% की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है। गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है।⁶²

59 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

60 ईईएसएल द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम। लिंक

61 ग्राम उजाला योजना ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब्स का वितरण करती है (फरवरी 2023), पीआईबी। लिंक

62 यानी कि कृषि स्तर पर प्री-कूलिंग, वज्रन, छंटाई, ग्रेडिंग, बैक्सिंग सुविधाएं, बहु उत्पाद/बहु तापमान कोल्ड स्टोरेज, सीए (CA) भंडारण, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ (IQF), वितरण केंद्र और रीफर वैन में ब्लास्ट फ्रीजिंग, मोबाइल कूलिंग इकाइयां

- ईईएसएल ने कार्बन वित्तपोषण का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडक्शन कुकिंग समाधानों के लिए बाजार-आधारित हस्तक्षेप शुरू करने की योजना बनाई⁶³
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।
 - » एसबीएम-जी के अंतर्गत गोबरधन योजना क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए प्रति जिले ₹50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।⁶³
- यूपी जैव-ऊर्जा नीति 2022 सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सीबीजी संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है:⁶⁴
 - » कंप्रेसड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने पर ₹75 लाख प्रति टन से लेकर अधिकतम ₹20 करोड़ तक का प्रोत्साहन।
 - » विकास प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए विकास शुल्क पर छूट।
 - » 100% स्टाम्प शुल्क और विद्युत शुल्क से छूट।
- एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम लागू किया:
 - » कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है।
 - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹0.25 करोड़ प्रति 12000 घन मीटर/दिन है।⁶⁵

वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप खरीदने के लिए ऋण हेतु स्थानीय बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और सहकारी बैंकों आदि के साथ गठजोड़ का पता लगाना।
- कृषि-फोटोवोल्टिक्स के लिए सौर डेवलपर्स के साथ साझेदारी का पता लगाना।
- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का उपयोग किया जा सकता है:
 - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए रिवोल्विंग निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम सब्सिडी के अतिरिक्त सौर छतों/कृषि-फोटोवोल्टिक्स/सौर पंपों की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत को कवर करना।
 - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/एसएचजी सदस्यों को 'संचालन और रखरखाव' पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
 - » सोलर रूफटॉप सौर ऊर्जा (यूपी सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (पीएम-कुसुम, यूपी सौर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली मौजूदा सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान आयोजित करें।

प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL)
- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग

⁶³ <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1883926>

⁶⁴ <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

⁶⁵ <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1896067>

6

सतत एवं उन्नत गतिशीलता



संदर्भ एवं मुद्दे⁶⁶

- जवाहर नगर पुरसारी में कुल 126 आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन हैं; 100 - दोपहिया वाहन, 4 कारें, 2 जीप, और 16 ट्रैक्टर। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 4 ई-रिक्शा हैं⁶⁷।
- आईसीई वाहनों द्वारा कुल ईंधन खपत लगभग 22 किलो लीटर (केएल) पेट्रोल और 26 किलोलीटर डीज़ल प्रति वर्ष है। कुल मिलाकर, 2022 में परिवहन क्षेत्र में खपत किए गए ईंधन के कारण ~124 टन CO₂e उत्सर्जन हुआ है।
- इसके अतिरिक्त, समुदाय के सदस्यों ने क्षेत्र सर्वेक्षण और केन्द्रित समूह चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत के अंदर की सड़कों/गलियों सहित मुख्य सड़क की खराब स्थिति और उस तक कठिन पहुंच की समस्या के बारे में जानकारी प्रदान की।

इस कारण से, परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और ई-मोबिलिटी समाधानों में बदलाव की पहल की महत्वपूर्ण संभावना है।



सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

चरण

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां

I

2024-25 से 2026-27

ग्राम पंचायत में पहुंच और गतिशीलता को सुधारने के लिए आरसीसी/इंटरलॉकिंग या कोई और मरम्मत कार्य

II

2027-28 से 2029-30

सड़कों का नियमित रखरखाव आवश्यकता के अनुसार बुनियादी ढांचे और मरम्मत

III

2030-31 से 2034-35

सड़कों का नियमित रखरखाव आवश्यकता के अनुसार बुनियादी ढांचे और मरम्मत

लक्ष्य

कुल 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क का मरम्मत कार्य

आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार

66 क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी और अन्य प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्ट किया गया

67 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आदानों के अनुसार

सड़कों पर कार्य: ₹3,20,00,000

आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार



इलेक्ट्रिक माल परिवहन वाहन और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

चरण

I

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां

1. डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना
2. आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक मालिकों/उद्यमियों) को संवेदनशील बनाना
3. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहनों को किराए पर लेने की सुविधा उपलब्ध करना (आजीविका बढ़ाने वाले अनुभाग में वर्णित)

आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना

आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना

लक्ष्य

कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहक का क्रय किया जाना

आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर को क्रय किया जाना

आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर को क्रय किया जाना

अनुमानित लागत

5 ई-ट्रैक्टरों की कुल लागत
~₹30,00,000

5 ई-वाणिज्यिक वाहनों की कुल लागत:
₹25,00,000 – 50,00,000

कुल लागत: ₹55,00,000 –
₹80,00,000



मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन

चरण

I

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत में ऑटोरिक्षा को ई-ऑटोरिक्षा से बदलना

पंचायत के प्रत्येक हिस्से में पहुँच बनाने हेतु अधिक ई-ऑटोरिक्षा को क्रय किया जाना

मांग के आधार पर अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्षा खरीदे जा सकते हैं

लक्ष्य

ग्राम पंचायत के आईपीटी बेड़े में 4 ई-ऑटोरिक्षाओं को जोड़ा जाना

आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्षा खरीदा जाना

आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्षा खरीदा जाना

अनुमानित लागत

एक ई-ऑटोरिक्षा की लागत⁶⁸: लगभग ₹3,00,000
>उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000
4 ई-ऑटोरिक्षा की प्रभावी लागत: ₹11,52,000
ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: 5.23 tCO₂e⁶⁹

आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार

वर्तमान योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मनरेगा के सहयोग से सड़क बुनियादी ढांचे की मरम्मत और सुधार किया जा सकता है
- यूपी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 में प्रावधान है
 - » खरीदारों को 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)
 - » डीलरों के माध्यम से 1 वर्ष की अवधि में खरीदारों को (एक बार) प्रारंभिक पक्षी प्रोत्साहन के रूप में खरीद सब्सिडी⁷⁰ – ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹1,00,000 तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 10%; 2-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹5000 तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 15%; 3-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹12000 तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 15%
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण के चरण II (FAME II) योजना के तहत ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी का लाभ भी उठाया जा सकता है

⁶⁸ ई-ऑटोरिक्षा की लागत अन्य विशेषताओं सहित कॉन्फिगरेशन, बैटरी के प्रकार, आदी के आधार पर होती है - 1,50,000 रुपए - 4,00,000 रुपए या इससे अधिक। परोपकार और अन्य फंडिंग एजेंसियों से प्राप्त संभावित सब्सिडी/अनुदान/प्रारंभिक पूंजी/व्यवहार्यता अंतर फंडिंग को ध्यान में रखकर ई-ऑटोरिक्षा की कीमत प्राइस बैंड के मध्य में माना जाता है।

⁶⁹ समुदाय से प्राप्त आदानों के आधार पर प्रति ऑटोरिक्षा ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन 1.31 tCO₂ है। डीज़ल ऑटोरिक्षा के स्थान पर ई-ऑटोरिक्षा आने से इस उत्सर्जन में गिरावट आएगी और इस तरह ग्राम पंचायत कार्बन न्यूट्रल या यहाँ तक कि कार्बन नेगेटिव भी बन सकता है।

⁷⁰ सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों के संदर्भ में आवधिक परिवर्तन के अधीन है। इसलिए, इस योजना के किसी भी खंड में उल्लिखित सब्सिडी केवल सांकेतिक है और खरीद के समय इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत का संसाधन लिफाफा और ओएसआर
- सीएसआर निधि के साथ बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों से ऋण

प्रमुख विभाग

- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्रामीण विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)

7

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना



संदर्भ एवं मुद्दे⁷¹

कृषि और पशुपालन प्रथाएं ग्राम पंचायत का मुख्य आधार हैं और 68% से अधिक परिवार इन गतिविधियों में संलग्न हैं। यह क्षेत्र बदलते जलवायु के प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं - जैसे लगातार चरम मौसम की घटनाएं, अनियमित वर्षा इत्यादि। जलवायु संबंधी प्रभावों के साथ जुड़ी अस्थिर खेती पद्धतियां आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को आजीविका के मामले में अनिश्चितता में छोड़ देती हैं। ग्राम पंचायत में आय के अन्य प्रमुख स्रोत गैर-कृषि मजदूरी और पशुपालन हैं।

वर्तमान में, ग्राम पंचायत में रोजगार के सीमित अवसर हैं। इस कार्ययोजना में उल्लिखित सुझाव आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए कई रास्ते प्रदान करते हैं। इनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है-



सतत उत्पादों के विनिर्माण में पहले से मौजूद स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना

गतिविधि

1. प्लास्टिक के विकल्प वाली सामग्रियों (बैग, घर की सजावट, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर, आदि) से उत्पादों के निर्माण के लिए महिलाओं और स्व सहायता समूहों को सम्मिलित करना
2. क्षमता निर्माण:
 - » उत्पाद रेंज का विविधीकरण
 - » ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

प्रारंभिक भागीदारी:

- » 100 महिलाएँ
- » 3 स्व सहायता समूह (वर्तमान में सिलाई जैसी गतिविधियों में सम्मिलित)
- » स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग

इस ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव:

- » अतिरिक्त 200 महिलाएँ
- » अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी

लक्ष्य

⁷¹ क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी और अन्य प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्ट किया गया



जैविक कचरे से बानी खाद की बिक्री

गतिविधि

1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल
2. समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों का क्षमता निर्माण
 - » खाद और वर्मीकंपोस्टिंग तकनीक
 - » ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

लक्ष्य

तात्कालिक लक्ष्य:

घरेलू अपशिष्ट (जैविक) से उत्पादित कम्पोस्ट/वर्मीकम्पोस्ट: 260 किग्रा प्रतिदिन; 4,200 किग्रा प्रतिमाह
(वर्तमान अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार)

दीर्घकालिक लक्ष्य:

जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार कम्पोस्ट/वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)



ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराये पर लेने की सुविधा

गतिविधि

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टरों की वाणिज्यिक किराये पर (किराये के आधार पर) यूपी ईवी नीति 2022 और फेम-इंडिया योजना चरण- II के तहत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमशीलता के अवसर प्रस्तुत करती है।
2. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक मालिकों) को संवेदनशील बनाना

लक्ष्य

तात्कालिक लक्ष्य:

1. 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: प्रति ई-ट्रैक्टर 6 लाख रुपये)
2. 2 या 3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक (मिनी माल ईवी परिवहन ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग 9.2 लाख रुपये)

मध्यावधि लक्ष्य:

2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रकों की अतिरिक्त खरीद



सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग से आजीविका में सुधार

गतिविधि

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों में) को सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज स्थान किराए पर देने के माध्यम से उद्यमशीलता के अवसर
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच व्यापार मॉडल/गठबंधन

लक्ष्य

5 से 10 मेट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना
(सब्जियों और फलों/और/या दूध उत्पादों का विनिर्माण के आधार पर टन)
लागत: ₹8 से ₹15 लाख



प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

गतिविधि

1. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन के विकास और रखरखाव के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन
2. कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधा संस्थान, लखनऊ के साथ साझेदारी

लक्ष्य

लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि पर आरोग्य वन की स्थापना



विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और जैव-गैस) का प्रचालन एवं रखरखाव

- नवीकरणीय ऊर्जा रखरखाव में कौशल विकास के लिए समुदाय के सदस्यों, विशेषकर स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
- ग्राम पंचायत में सौर और बायो-गैस स्थापना और संचालन और रखरखाव व्यवसायों की स्थापना में सीएसआर, केंद्र और राज्य सरकार की कौशल उन्नयन योजनाओं से सहयोग।

वित्तपोषण एवं कौशल विकास

- हरित उद्यमशीलता और आजीविका (विभिन्न ऋण योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से) को सहयोग देने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना; सरकारी ऋण योजनाएं जैसे मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना, आदि और डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) महिला उद्यमियों को सहयोग दे सकते हैं।
- सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे: मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल नवाचार मिशन के माध्यम से आवश्यक कौशल विकास प्रदान किया जाता है।



विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूल क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधि "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण : 72,73,74

- हैदराबाद, तेलंगाना में कटनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में सतत डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक प्रकाश यानी बिजली से चलने वाले बल्ब, ट्युबलाइट आदि को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- हरित जल निकाय और डिज़ाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी)।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

72 https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf

73 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

74 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय⁷⁵, थार रेगिस्तान, राजस्थान का निर्माण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए किया गया है: जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया गया है:

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़⁷⁶ :

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से राहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)

3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र⁷⁷:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

75 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

76 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

77 <https://raindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनलों लगाना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करते हैं जैसे की चारे की तैयारी और शेड संचालन करने में ऊर्जा की ज़रूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

यह गतिविधि संस्त्रुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, बठिंडा और तरनतारन, पंजाब^{78,79}

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेडों जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं

निर्मल गुजरात अभियान⁸⁰

- गुजरात के हिममतनगर में पशु छात्रावास गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल (पशु छात्रावास) में बायोगैस और वर्मीकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मीकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)⁸¹" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना" है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर⁸²

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतें में पेंट किया गया।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग से जुड़ी है।

78 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

79 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

80 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

81 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/cssscspssc>

82 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ्रीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण

- इन संपूरकों के उपयोग से आंत्रीय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है⁸³।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम है।

7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रोकलाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ा है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में ⁸⁴

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

83 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%99Charit-dhara%E2%80%99D>

84 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना ⁸⁵

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एफ़िफ़िएंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्य योजना के आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले⁸⁶

स्वयं शिशन प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे एवं स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)⁸⁷

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।

⁸⁵ <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

⁸⁶ <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

⁸⁷ <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाज़ार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश राज्य में⁸⁸









- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

88 <https://www.apmas.org/pdf/casestudy-1.pdf>




अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁹
1. जल निकायों का पुनरोद्धार एवं संरक्षण 	<ul style="list-style-type: none"> प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है बेहतर भूजल पुनर्भरण पानी की गुणवत्ता में वृद्धि सूखा, लू जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाना कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा 	एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.1 लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 6.5 एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.4 एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 एसडीजी 15: भूमि पर जीवन <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.5
2. जल निकासी संबंधी बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण 		 
3. वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) 		  




⁸⁹ अनुलग्नक V में एसडीजी और उनके लक्ष्यों की विस्तृत सूची है

सतत कृषि

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁵
1. कृषि में जलवायु लचीलेपन का विकास 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि मृदा स्वास्थ्य में सुधार रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार 	एसडीजी 2: शून्य भूख <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 2.3 लक्ष्य 2.4 लक्ष्य 2.ए; अनुच्छेद 10.3.ई
2. प्राकृतिक खेती अपनाना 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि जल सुरक्षा में सुधार शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई 	एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 13.1
3. सतत पशुधन प्रबंधन 	<ul style="list-style-type: none"> वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई 	एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3



हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁵
1. हरित क्षेत्रों/आवरण में सुधार 	<ul style="list-style-type: none"> जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा 	एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.7 लक्ष्य 11.4
2. नर्सरी की स्थापना 	<ul style="list-style-type: none"> बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पशुधन उत्पादकता में सुधार कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन 	एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2
3. जन जैवविविधता रजिस्टर 	<ul style="list-style-type: none"> जैव विविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार 	एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 एसडीजी 15: भूमि पर जीवन <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.2 लक्ष्य 15.3 लक्ष्य 15.5 लक्ष्य 15.9









सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंध

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁵
<p>1. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलभराव में कमी जल और भूमि प्रदूषण में कमी/बेहतर स्वच्छता 100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण आजीविका और आय सृजन राजस्व और लाभ सृजन सतत कृषि के लिए उन्नत आदान अपशिष्ट आधारित कृषि सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना 	<p>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 3.3 लक्ष्य 3.9 <p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.8 <p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3 <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1
<p>2. जैविक कचरे का प्रबंधन</p> 		
<p>3. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p> 		
<p>4. स्वच्छता संबंधी संरचनाओं को बढ़ाना</p> 		






स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁵
1. सोलर रूफटॉप स्थापना 	<ul style="list-style-type: none"> ऊर्जा सुरक्षा उष्ण आराम आजीविका के उन्नत विकल्प अतिरिक्त राजस्व सृजन 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.4 <p>एसडीजी 7: किफायती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.1 लक्ष्य 7.2 लक्ष्य 7.3 लक्ष्य 7.a लक्ष्य 7.b
2. कृषि-फोटोवोल्टिक 	<ul style="list-style-type: none"> उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है 	
3. सौर पंप 	<ul style="list-style-type: none"> विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में कमी चुकौती/पे-बैक अवधि के बाद आर्थिक लाभ 	<p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1
4. रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग 	<ul style="list-style-type: none"> घरों के अंदर वायु प्रदूषण में कमी सभी के स्वास्थ्य, मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार 	<p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
5. ऊर्जा कुशल फिक्स्चर 	<ul style="list-style-type: none"> ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि 	
6. सौर स्ट्रीट लाइटें 		



सतत एवं उन्नत गतिशीलता

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁵
1. सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार जोखिम वाले और कमजोर व्यक्तियों के लिए बेहतर पहुंच 	<p>एसडीजी 7: किफायती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.2
2. इलेक्ट्रिक माल परिवहन वाहन और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा 	<ul style="list-style-type: none"> अतिरिक्त राजस्व सृजन वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के माध्यम से लचीलेपान में सुधार 	<p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.2 <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1
3. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन 		<p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3



आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

प्रस्तावित क्लाउडमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁵
<p>1. सतत उत्पादों के विनिर्माण में पहले से मौजूद स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय स्रोतों से प्राप्त कच्चे माल के माध्यम से आजीविका के उन्नत विकल्प जल और भूमि प्रदूषण में कमी सतत कृषि के लिए उन्नत आदान 100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण 	<p>एसडीजी 5: लैंगिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 5.5 <p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>2. जैविक कचरे से बानी खाद की बिक्री</p> 	<ul style="list-style-type: none"> औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा 	
<p>3. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा</p> 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन जैव विविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार 	
<p>4. सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग से आजीविका में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि 	
<p>5. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन</p> 		
<p>6. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और जैव-गैस) का प्रचालन एवं रखरखाव</p> 		



क्रियान्वयन में प्रस्तावित सुझाव/संस्तुतियों/अनुशंसाओं से जवाहर नगर पुरसारी के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत क्लाइमेट स्मार्ट, लचीली और सतत बनेगी। इससे गांव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। जवाहर नगर पुरसारी के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर जवाहर नगर पुरसारी को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, जवाहर नगर जलवायु कार्ययोजना पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और क्रियान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के क्रियान्वयन के बाद, नई अवसंरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही जवाहर नगर पुरसारी को एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ़ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।



अनुलग्नक

अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के तहत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत' के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया⁹⁰। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

जवाहर नगर पुरसारी के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना⁹¹ का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्ध्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है।

90 उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी (DoEFCC), उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्कोपिंग आकलन से की गई।

91 इस आलेख में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख संलग्नक के रूप में सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; उत्तर सहित प्रभावशीलता; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ़्रील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी: : मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच को समझना भी था।
- हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता निर्माण: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। हितधारकों को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्ययोजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाने जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बर्र में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- क्षेत्र सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक डेटा संग्रह किया गया।
 - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
 - » ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
 - » जवाहर नगर पुरसारी ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें जलवायु-स्मार्ट गतिविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गई पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारीयों में कमी और उनमें अधूरपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारीयों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारीयों में कमी और उनमें अधूरपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारीयों को संपूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

अनुलग्नक II: उत्तर सहित प्रश्नावली



उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्राम पंचायत : जवाहर नगर पुरसारी

विकासखण्ड : जैथरा

जनपद : एटा

I. गाँव की रूपरेखा


	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत—समुदाय के सदस्य)
1	राजस्व गाँव की संख्या	5 (जवाहर नगर , 12 बिस्वा , 8 बिस्वा, गनपतिपुर, नगला मल्ले)
2	टोलों की संख्या	—
3	a कुल जनसंख्या	2997
	b कुल पुरुषों की जनसंख्या	1580
	c कुल महिलाओं की जनसंख्या	1417
	d विकलांगजन की जनसंख्या	15(9 पुरुष, 6 महिला)
	e कुल बच्चों की जनसंख्या	880
	f वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	240
4	कुल परिवार की संख्या	492
	a गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	40
5	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	2 वर्ग कि०मी०
6	a साक्षरता दर	85%
7	a पक्का घरों की संख्या	445
	b कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	47 (मिट्टी एवं फूस)





II. सामाजिकआर्थिक

8	ग्राम पंचायत में केवल कृषि (प्रकार) पर आश्रित परिवार	कुल परिवारों की संख्या	
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	280	
	किराए की भूमि (हुण्डा)	—	
	अनुबंध खेती	—	
	दिहाड़ी मजदूर	15	
	अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)	40	
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में शामिल परिवार, उल्लेख करें)	—	
9	ग्राम पंचायत में आय के स्रोत	कुल परिवारों की संख्या	
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	10	
	कुटीर उद्योग	01	
	कृषि	0	
	कला/हस्तकला	0	
	पशुपालन	43 (परिवार पशुपालन एवं डेयरी पर निर्भर)	
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	07	
	व्यवसाय/उद्यम	02 (आटा चक्की एवं छेना निर्माण)	
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	94	
	अन्य	—	
10	पलायन	हां	नहीं
a	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत से ग्रामीणों ने पलायन किया है?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ✓
b	पलायन करने वाले स्थान	पिछले पांच वर्षों में पलायन करने वाले परिवार/व्यक्तिगत की संख्या	पलायन के मुख्य कारण
	अन्य गांव		
	निकट के शहर		
	राज्य के प्रमुख शहर		
	देश के प्रमुख महानगर		
c	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत में परिवार/व्यक्ति ने प्रवास किए हैं?	हां	नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ✓





d	पिछले पांच वर्षों में आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्पष्ट करें।	
---	--	--

11	महिलाओं की स्थिति	
a	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत- महिला)	40
b	खेती में कार्यरत महिला	कुल संख्या
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	11
	किराए की भूमि/हुण्डा	-
	अनुबंध खेती	-
	दिहाड़ी मजदूर	8
	अन्य व्यवस्था	-
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	-
c	नौकरी/अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं	कुल संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	-
	कुटीर उद्योग	-
	कृषि	-
	कला/हस्तकला	-
	पशुपालन	20
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	-
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	01
	अन्य	-





12	स्वयंसहायतासमूहों				
	स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (रु०)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
1	दुर्गा माता महिला समूह	12	—	2880	कैनरा बैंक
2	गंगा महिला समूह	07	—	1680	कैनरा बैंक
3	जय हनुमान समूह	10	—	2400	कैनरा बैंक
4	जय संतोषी माँ समूह	09	—	2160	कैनरा बैंक
5	जय श्री गणेश महिला समूह	09	—	2160	कैनरा बैंक
6	कृष्णा महिला समूह	10	—	2400	कैनरा बैंक
7	जय हनुमान महिला समूह	10	—	2400	कैनरा बैंक

13	कृषक उत्पादक संगठन (एफ०पी०ओ०)					
	एफ०पी०ओ० का नाम	क्या इस संगठन की प्रमुख महिला हैं?	प्रत्येक एफ०पी०ओ० में सदस्यों की संख्या	एफ०पी०ओ० से प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	कृषि उत्पाद	पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियाँ/ गतिविधियों का क्षेत्र
	N.A	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				

14	अन्य समुदाय आधारित संगठन/					
	सामाजिक संगठन/ समितियों के नाम	क्या महिला प्रमुख संगठन/ समिति हैं?	सदस्यों की संख्या	प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	उत्पाद/ सेवा	विपणन/ लक्षित उपभोक्तार्ता
	N.A.	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				





		<input type="checkbox"/>				
--	--	--------------------------	--	--	--	--

15	योजनाएं						
	a	योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भगतान (रु०)	अन्य कोई बकाया (रु०)	की गई गतिविधियाँ / कार्य
		मनरेगा	192	65	2200000	NIL	इण्टरलाकिंग, तालाब निर्माण, वृक्षारोपण
		प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना / एन.एफ.एस.ए.					
		प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	200	200	—	—	गैस एजेंसियों द्वारा कनेक्शन वितरित किए
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना					
		प्रधानमंत्री कुसुम योजना					
	b	अन्य योजनाएं					
		ग्राम उज्जवला योजना					
		ऊर्जा दक्षता योजना					
		प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम					
		प्रधानमंत्री आवास योजना	59	41	NO	NO	विगत वर्ष से पूर्व में आवास बने
		सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०)	190	190	—	—	राशन डीलर द्वारा राशन वितरण
		कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम					
		उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन					
		राष्ट्रीय कौशलविकास योजना (RKVY)					
		मौसम आधारित फसल बीमा					
		प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)					





	मृदा स्वास्थ्य कार्ड					
	किसान क्रेडिट कार्ड	400	400	—	—	बैंक द्वारा
	स्वच्छ भारत मिशन	07	07	84000 / प्रति		शौचालय निर्माण (वर्ष 2022-23)
	सौर सिंचाई पम्प योजना	—				
	नई/नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	—				
	विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	—				
	गोवर्धन योजना	—				
	जल पुनर्भरण योजना	—				
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	—				
	समन्वित वाटर शेड विकास कार्यक्रम	—				
	अन्य वाटर शेड विकास योजनाएं	—				
	अन्य (एक जिला-एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य)	—				
	उद्यमिता सहायित योजनाएं आदि	—				

16	सक्रिय बैंक खाता धारकों की संख्या	2000
17	ई-बैंकिंग/डिजिटल भुगतान एप/यू.पी.आई आदिसे भुगतान करने वाले खाता धारकों की संख्या	125

18	निकट कृषि बाजार/क्रय केन्द्र/सरकारी केंद्र	क्या ग्राम पंचायत द्वारा बाजार/क्रय केन्द्र का उपयोग होता है	यदि नहीं, तो बाजार/केन्द्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता	उत्पादित फसल (कु0)	बिक्री हुई फसल (कु0)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि0मी0)
		हां	नहीं			
	गंज ढुंढवारा (आलू मण्डी)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	आलू 2000 (कु0)	1000 (कु0)	16 कि0मी0
	धुमरी (अनाज मण्डी)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	गेहूं 3000 (कु0)	1200 (कु0)	15 कि0मी0





	धुमरी (अनाज मण्डी)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		सरसों 1000 (कु०)	600 (कु०)	15 कि०मी०
	धुमरी (अनाज मण्डी)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		बाजरा 1000 (कु०)	500 (कु०)	15 कि०मी०

19		शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में)				
		प्रकार/स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	विगत वर्ष में कुल ड्राप आउट विद्यार्थियों की संख्या	ड्राप आउट के मुख्य कारण (स्वास्थ्य (1), पहुँच/उपलब्धता—(2), आर्थिक समस्या—(3), अन्य—(4) उल्लेख करें)
	a	प्राथमिक विद्यालय				
	1	पुरसारी	1200 वर्ग फुट	122	—	
	2	नगल मल्ले	1250 वर्ग फुट	43	—	
	b	जू० हाईस्कूल				
	1	पुरसारी	2000 वर्ग फुट	60	—	
	c	हाईस्कूल				
		NA				
	d	अन्य संस्थान				
		NA				





20	कौशलविकास / व्यवसायिकप्रशिक्षण / पुनः कौशलसंस्थान(केवल ग्रामपंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकितव्यक्तियों की आयु
	NA				

21	राज्य / राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता			
	राजमार्ग का नाम	राज्यमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्राम पंचायत से दूरी	सम्पर्क मार्ग की स्थिति अच्छा (1), खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)
	एटा अलीगंज राजमार्ग	1	15 कि०मी०	3
	मैनपुरी बरेली राजमार्ग	1	09 कि०मी०	3

III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

22	वनभूमि का विवरण	
A	वन का क्षेत्र	8 एकड़
B	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	-
C	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	-
D	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	-
E	विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन/वन कटाई की गतिविधियां	-
F	अनुमानित वन उन्मूलन/वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	-





23	अन्य भूमि का वर्गीकरण			
A	ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है?	2 एकड़		
B	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	2 एकड़ (पूरे पर)		
C	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	आच्छादित क्षेत्रफल
	खनन के प्रकार बालू खनन 1, खनिज खनन—(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3	NA		
	अतिरिक्त सूचनाएं			

24	जल निकाय क्षेत्र		
	विवरण	हां	नहीं
A	क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>
B	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	5 पोखर	
C	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?	<input type="checkbox"/> हाँ (4) पर	<input type="checkbox"/>
D	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?	20–25 वर्ष से	
E	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?	हाँ	

25	जल आपूर्ति	
a	ग्राम पंचायत में घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल—(2) भूमिगत जल—(3) तालाब/झील—(4) अन्य— (5)	03 (भूमिगत जल)
b	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	बारहमासी





c	घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है? पाइप जलापूर्ति (1) ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2) पानी टंकी (3) महिलाओं/बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4) हैण्ड पम्प (5) ऊँचा सत ही जलाशय (6) कूआ (7) अन्य (8), उल्लेखितकरें। अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?	(5)
d	कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?	NA
e	क्या पानी का बहाव/प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	NA
f	पाइप जलापूर्ति की नियमितता 24×7 घण्टे (1) काफी नियमित (2) अनियमित (3)	NA
g	ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल (2) भूमिगत जल – (नलकूप (3A), कूआ (3B)) तालाब/झील (4) पानीटैंक (5) नदी (6) अन्य (7)	3A
h	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारह मासी है?	बारह मासी
i	क्या जलापूर्ति का बहाव/प्रवाह दर कम/अधिक या संतोषजनक है?	संतोषजनक
j	अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है)	पर्याप्त है। घटी है।





	<p>क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख गया?</p> <p>क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?</p>	टंकी चालू नहीं है।
--	---	--------------------

IV. जलवायु की धारणा


तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन/बदलाव				
26				
A	गर्मी के माह में देखा गया	तापमान बढ़ रहा है		
B	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि	गर्म दिनों में कमी	गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या	30		
D	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)			
27				
A	सर्दी के माह में महसूस किया गया	सर्दी कम पड़ रही है।		
B	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि	ठण्ड दिनों में कमी	ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या		30	
D	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)			
28				
A	मानसून माह में महसूस किया गया	वर्षा कम हो रही है।		
B	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या		30	
D	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)	वर्षा अन्तराल बढ़ गया है।		
29				
A	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि	वर्षा दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं





		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या		15 दिन	
D	शरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>
E	दिनों की संख्या		8 दिन	
F	अन्य सूचनाएं/जानकारी	बेमौसम बारिश होने से फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है		

चरम मौसम की घटनाएं						
30	सूखा					
a	सूखे की घटना	प्रथमवर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थवर्ष (2019)	पंचमवर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में सूखा देखा गया	जून जुलाई बारिश देर से होने के कारण				
c	सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन (निजी हैण्डपम्प लगाए गये एवं रीबोर करवाए गए)			कृषि स्तर पर प्रबन्धन सूखे से निपटने हेतु ग्रामीणों द्वारा समर/नलकूप रीबोर कराए गए	
d	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2					
31	बाढ़					
	बाढ़ की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थवर्ष (2019)	पंचमवर्ष (2018)
	जलजमाव होता है।	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में बाढ़ देखा गया	कोई बाढ़ नहीं, अन्तिम बाढ़ 2004 में आई थी।				
c	बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन (कृषकों द्वारा स्वयं खेत में ऊंची मेड़बन्दी)	
d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>		





e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	अन्तिम बार बाढ़ 2004 में आई थी सभी सम्पर्क मार्ग बन्द हो गए थे।				
32 भूस्खलन						
a	भूस्खलन की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थवर्ष (2019)	पंचमवर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में भूस्खलन देखी गई	NA				
c	भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांचवर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2					
33 ओलावृष्टि						
a	ओलावृष्टि की घटना	प्रथमवर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थवर्ष (2019)	पंचमवर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में ओलावृष्टि हुई	NA				
c	ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांचवर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
34 फसलों के कीट/बीमारी						
a	कीट/बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थवर्ष (2019)	पंचमवर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/> ✓
b	किस माह में कीट/बीमारी को देखा गया?	अप्रैल, मई, जनवरी				
b	किस प्रकार के कीट/बीमारी को देखा गया?	मक्का एवं चरी में सूड़ी, दीमक आलू एवं सब्जी में फफूंद, झुलसा रोग				
c	कीट/बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	कृषकों द्वारा मार्केट से दवा लाकर छिड़काव किया गया				



d	कीट/बीमारी की आवृत्ति : कीट बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	कमी <input type="checkbox"/>	कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>		
	अतिरिक्त जानकारी/सूचनाएं	प्रतिवर्ष फसलों में नए तरह के कीट देखे जा रहे हैं।				

35	ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी				
		ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा प्रबन्धन/तैयारी के उपाय उपलब्ध है?		क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच/उपलब्धता है?	
	आपदा तैयारी के उपाय	हां	नहीं	हां	नहीं
	ग्रामआपदाप्रबन्धन योजना	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	पूर्व चेतावनी प्रणाली/मौसमी चेतावनी प्रणाली/कृषि चेतावनी प्रणाली	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	आपातकाल अनाज बैंक	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	अन्य	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

36	अनाज भण्डारण	
a	ग्राम पंचायत के आपातकालिन खाद्य/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?	
	अनाज (विवरण दें)	-
	तेल	-
	चीनी	-
	अन्य खाद्य पदार्थ—उल्लेख करें	-
b	क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	
		-

37	ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत	
	स्थानीय कृषि अधिकारी	किसानों के रजिस्टर्ड नम्बरों पर मैसेज द्वारा सूचना
	समाचारपत्र/समाचार/रेडियो	-
	मोबाईल फोन/एप	-





मौखिक	-
कृषि विज्ञान केन्द्र / कृषि ज्ञान केन्द्र	-
पशुपालन विभाग	-
उद्यानविभाग	-
अन्य	-

कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांचवर्षों में)						
38	फसलहानि					
a	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु/मौसम खरीफ (1) रबी (2) जायद/अन्य ऋतु (3)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटनाक्रम-गर्मी, ठण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टी आदि	अनुमानित हानि की मात्रा (कुन्तल)	परिणाम स्वरूप आय में हानि (औसत रु0)
	प्रथम वर्ष (2022)	खरीफ	बाजरा, मक्का	गर्मी/सूखा	800 कुन्तल	लगभग 12 लाख
	द्वितीय वर्ष (2021)	रबी	गेहूँ, सरसो, आलू	आवारा पशुओं (गाय, नीलगाय, सूअर आदि)	600 कुन्तल	लगभग 10 लाख
	तृतीय वर्ष (2020)	रबी, खरीफ	गेहूँ, सरसो, आलू बाजरा	आवारा पशुओं (गाय, नीलगाय, सूअर आदि)	700 कुन्तल	लगभग 10 लाख
	चतुर्थवर्ष (2019)	खरीफ	बाजरा, मक्का	दीमक एवं सूड़ी	500 कुन्तल	लगभग 6 लाख
	पंचवां वर्ष (2018)	रबी	आलू	झुलसा रोग	400 कुन्तल	लगभग 2 लाख 40 हजार
b	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हां	नहीं			
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी-बड					





	किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि) फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?					
--	---	--	--	--	--	--





39 फसल पद्धति में बदलाव					
a	सामान्य फसल	खरीफ	रबी ✓	जायद/अन्य ऋतु	
b	फसल का नाम	पारम्परिक बोआई का समय	विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है/देखा है	अभी बोआई का समय	परिवर्तन के कारण
	गेहूं	मध्य नवम्बर	बोआई 15 से 20 दिन विलम्ब से हो रही है	दिसम्बर प्रथम सप्ताह	शीतकाल देर से प्रारम्भ होना
c	अन्य सूचना/जानकारी (विलुप्त फसल/प्रजाति आदि उल्लेख करें)	Nil			

40 सिंचाई प्रणाली/पद्धति में परिवर्तन					
a	फसल का नाम	वर्तमान में सिंचाई पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई(1), टपक विधि (2), नहर(3), वर्षा आधारित(4), पारम्परिक(5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया/एकड़)	पूर्व में सिंचाई पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया/एकड़)
	गेहूँ	पारम्परिक	3780/— (5)	पारम्परिक (5)	1600/— (मंहगी बिजली एवं पानी का अधिक उपयोग)
b	ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की संख्या	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	सौर पम्प	पारम्परिक सिंचाई विधियां
			17	-	
c	अन्य सूचनाएं/जानकारी अगर कोई है				
41 पशुपालन/पशुधन					





	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां श्रेणी :					
a	डेयरी (1) ✓ मुर्गी पालन (2) मत्स्य पालन (3) सूअर पालन (4)✓ मधुमक्खी पालन (5) अन्य-स्पष्टकरें (6)	(1) ✓ (4)✓				
b	डेयरी पर प्रभाव	पशुहानि गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	पशुहानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष(2022)	(1 एवं 2)	5 भैंस एवं 10 गाय	बीमारी	बारिश	(2)
	द्वितीय वर्ष(2021)	(1,2 एवं 3)	06 भैंस एवं 04 गाय, 05 बकरी	बीमारी	बारिश एवं सर्दी	(2)
	तृतीय वर्ष(2020)	(1,2 एवं 3)	04 भैंस एवं 02 गाय, 04 सूअर	बीमारी	बारिश एवं सर्दी	(2)
	चतुर्थ वर्ष(2019)	(1 एवं 2)	05 भैंस एवं 03 गाय	बीमारी	बारिश एवं सर्दी	(2)
	पंचम वर्ष(2018))	(1,2 एवं 3)	02 भैंस एवं 1 गाय, 3 बकरी	बीमारी	बारिश एवं सर्दी	(2)
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	अधिकांश भैंसों की मृत्यु गलघोंटू, गाय की लम्पी वायरस, बकरी एवं सूअर की सर्दी एवं दस्त से हुई है				
c	मुर्गी पालन पर प्रभाव	पक्षी हानि मुर्गी (1) बत्तख (2) अन्य (3)	पक्षी हानि की संख्या (प्रत्येक पक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम / ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथमवर्ष(2022)	NA				





	द्वितीय वर्ष(2021)	NA				
	तृतीय वर्ष(2020)	NA				
	चतुर्थवर्ष(2019)	NA				
	पंचम वर्ष(2018))	NA				
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	NA				
d	अन्य पशुओं पर प्रभाव	पशुहानि (कृपया निर्दिष्ट करें कि कौन से हैं)	पशुहानि की संख्या (प्रत्येक पशु का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि की ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष(2022)	NA				
	द्वितीय वर्ष(2021)	NA				
	तृतीय वर्ष(2020)	NA				
	चतुर्थ वर्ष(2019)	NA				
	पंचम वर्ष(2018)	NA				
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	NA				





V. कृषि व पशुपालन

42	a	प्रमुख उगाई जाने वाले फसलें व सम्बन्धित सूचनाएं/जानकारी												
						उर्वरक उपयोग			कीट नाशक उपयोग			खरपतवार नाशी		
		फसल (अनाज, तिलहन, दलहन, उद्यान एवं फूल आदि)	ऋतु/ मौसम	उपज (कु0) प्रति एकड़	उर्वरक के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा0/ एकड़)	क्या विगत पांच वर्षाें में उपयोग किये गये उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	कीट नाशकों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/ एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	खरपतवार नाशीों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा /एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये खरपतवार की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	
		1. गेंह 2 सरसों 3 आलू	शीत,	15 (कु0) 5 (कु0) 25(कु0)	यूरिया एवं डीएपी	45 कि0ग्रा0 यूरिया 50 कि0ग्रा0 डीएपी	1	राकेट कोल्ड	250 एम0एल 0	(1) खरीफ फसल (3)रवि फसल	टाटा मेट्री	100 कि0ग्रा0	3	
		बाजरा	ग्रीष्म	12 (कु)	यूरिया एवं डीएपी	45 कि0ग्रा0 यूरिया 50 कि0ग्रा0 डीएपी	1							
b		क्या ग्राम पंचायत में फसल अवशेष जलाये जाते हैं	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/> √	जलाये गये खेतों का कुल क्षेत्रफल	क्या यह फसल अवशेष पूर्व में जलाये जाते थे	अगर नहीं तो, कब से जलाना आरम्भ किया	क्या फसल अवशेष प्रबन्धन की योजनाओं को जानते/जागरूक है? मेड़ पर इक्की कर देते है जो गल जाती है।						



					ल (एकड़)			
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--



43	जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां				
	फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (रु०/कुन्तल)	बिक्री हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित/सत्यापित
	NA				

44	अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य / जीरो बजट प्राकृतिक खेती)			
	फसल	स्थाई गतिविधियां (शून्य जुताई, मल्विंग, फसल चक्र, अर्न्तःफसलें, वर्मीकम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसलें, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जैव पदार्थ में वृद्धि आदि)	क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति फसल प्राप्त आय (रूपया)
	NA			



45 कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, परती भूमि विकास और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियां									
पौध रोपण गतिविधियों के प्रकार	आच्छादित क्षेत्रफल	स्थान	योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (1), समन्वित वाटर शेड प्रबन्धन कार्यक्रम (2), वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3), मनरेगा (4), वृक्षारोपण जन आन्दोलन (5), अन्य (6)–उल्लेख करें	मोनोक्लचर (1), मिश्रित प्रजातियां (2)	रोपित प्रजातियां	आरम्भ दिनांक	सफलता (प्रतिशत)	कृषि वानिकी गतिविधियों के लाभ तक लोगों की पहुँच/अवसर	पिछले 10 वर्षों में पड़ुच/अवसर में परिवर्तन, वृद्धि (1), कमी (2), कोई परिवर्तन नहीं (3)
सामाजिक वानिकी वृक्षारोपण	10 एकड़	तालाब के किनारे एवं अस्पताल परिसर में कुछ व्यक्तिगत घरों में	मनरेगा (4)	2	आम, नीम, कंजी, अमरूद, जामुन, पाखर, पीपल	जुलाई, अगस्त	50%	(3)



46	अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक			
	पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा मै। परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशु आहार, खुले मेंचराई आदि)	प्राप्त/उत्पादित आय प्रति पशुधन
	गाय (देशी नस्ल)	30	चारा, भूसा पशुआहार	6000 प्रतिमाह
	गाय (संकर नस्ल)	50	चारा, भूसा पशुआहार	9000 प्रतिमाह
	भैंस (देशी नस्ल)	200	चारा, भूसा पशुआहार	16000 प्रतिमाह
	भैंस (संकर नस्ल)	—	—	—
	बकरी	50	घास, गेहू की भूसी	1500 प्रतिमाह
	सुअर	35	बचा हुआ खाना, भूसी	5000 बिक्री पर
	मुर्गी	—	—	—
	मत्स्य	—	—	—
	अन्य	—	—	—

VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

47	जल की गुणवत्ता (पेयजल या नल जल से आपूर्ति परिवार)						
a	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त				
		<input type="checkbox"/> √	<input type="checkbox"/>				
b	जल का स्वाद कैसा लगता है?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> √			
c	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या है?	नमकीन	गन्दा	मटमैला	बालू/कीचड़	गन्ध	सामान्य है।
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन/फिटकरी मिलाकर	सौर शुद्धीकरण	क्ले वेसल फिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपया उल्लेख करें)





								कुछ नहीं करने की आवश्यकता है।
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

48 ठोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्रबन्धन								
	a	अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ/कचरा	सब्जी एवं फलों के छिलके, बचा हुआ खाना, प्लास्टिक, धूल मिट्टी					
	b	आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ/कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?	निजी स्तर पर					
	c	कचरा संग्रह कितनी बार होता है?	<input type="checkbox"/> प्रतिदिन	<input type="checkbox"/> साप्ताहिक	<input checked="" type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन	सिर्फ प्लास्टिक बैंक से		
			हां	नहीं				
	d	क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहां कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हां तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ग्राम पंचायत से दूरी/ग्राम पंचायत में अवस्थिति	ग्राम पंचायत में गाँव जवाहर नगर में ग्राम सभा की भूमि पर		
	e	क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़े दान रखे गये हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
	f	क्या आप कचरे को सूखे और गील कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	प्लास्टिक बैंक कूड़ेदान है।			
	g	आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुनःचक्रमण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)
		NA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	दैनिक कचरा निजी कूड़ेदान में पड़ता है। भर जाने पर इधर-उधर भी पड़ा रहता है।

49 खुले में शौच मुक्त स्थिति			
a	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	<input checked="" type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं





b	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	<input type="checkbox"/> √	<input type="checkbox"/>	100 परिवार
c	सामुदायिक शौचालय/इज्जत घर की संख्या	<input type="checkbox"/> √	1 (सामुदायिक शौचालय) 225 (इज्जतघर)	प्रमुख स्थान-जूनियर हाईस्कूल पुरसारी
d	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?	हाँ		
e	अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का अभाव, बहुत दूर आदि)	465 शौचालय का निर्माण हुआ था परन्तु वर्तमान में 225 शौचालय ही उपयोग में हैं।		

50	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियाँ	गंदा नाला
a	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	<input type="checkbox"/> √	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	12000 लीटर	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो-	कोई नहीं	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई है तो-	कोई नहीं	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

51	स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा			
	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हाँ	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
a	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/> √	<input type="checkbox"/>	400 वर्गमीटर
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> √	
c	उपस्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> √	
d	आंगनवाड़ी	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> √	आंगनवाड़ी भवन नहीं है।
e	आशा	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> √	
f	स्वास्थ्य कैम्प/मेला	<input type="checkbox"/> √	<input type="checkbox"/> √	
g	डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> √	

52	रोग/बीमारी		
		प्रभावित आयु समूह	सामान्य उपचार का विकल्प





	विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी/रोग से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?	प्रभावित कुल व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित व्यवस्कों की संख्या	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (उल्लेख करें)	घरेलू देखभाल	घर-घर जानेवाला	अन्य (उल्लेख करें)
a	वेक्टर-जनितरोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	200	130	70	-	पटियाली एवं गंज डुडवारा में प्राइवेट इलाज कराया	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	नवीन स्वास्थ्य केन्द्र में सुविधाओं का अभाव
b	जल-जनितरोग (हैजा/डायरिया/टाईफाइड/हैपेटाइटिस आदि)	120	80	40	-	पटियाली एवं गंज डुडवारा में प्राइवेट इलाज कराया	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	नवीन स्वास्थ्य केन्द्र में सुविधाओं का अभाव
c	श्वास सम्बन्धी रोग जलवायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	NA					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d	कुपोषण	8	8	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	आंगन वाडी एवं आशा द्वारा

VII. उर्जा

53		
a	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युत्कृत हैं	270
b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत् उपकरणों की संख्या	
	ए0सी0	3
	एयर कुलर	250





	रेफ्रिजरेटर/फ्रीज	180
--	-------------------	-----

54	विद्युत कटौती की आवृत्ति	
a	दिन में कुछ बार	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> (5 से 6 बार)
	दिनमें एक बार	<input type="checkbox"/>
	विद्युत कटौती नहीं	<input type="checkbox"/>
b	प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	8
	यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	

55	वोल्टेज अस्थिरता/ उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?	
	दिन में कुछ बार	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	दिनमें एक बार	<input type="checkbox"/>
	अस्थिरता/उतार-चढ़ाव नहीं	अस्थिरता लो वोल्टेज की समस्या

56	पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या
	डीजल चलित जेनरेटर	2
	सौर उर्जा	2
	इमरजेंसी लाईट	16
	इन्वर्टर	50
	अन्य साधन (उल्लेख करें)	

57	नवीकरणीय/अक्षयऊर्जा के स्रोत		
a	क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुलस्थापित क्षमता (किलोवाट)
	घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	2	500 वॉट
	विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	NA	
	चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	NA	





	ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	1	150 वॉट
	अन्य सौर उर्जा स्थापना	मोबाईल टावर-2	15-15 किलोवाट
	सौर स्ट्रीट लाईट	16	40 वॉट
	बायोगैस	NA	
	विकेन्द्रित नवीनीकरण उर्जा / मिनीग्रीड	NA	
b	क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं / कार्यक्रमों का उल्लेख करें)	NA	

58	भोजन बनाने हेतु प्रयुक्त ईंधन	परिवारों की संख्या	प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा / महीना)	
	पारम्परिक जलौनी (उपले / जलौनी लकड़ी)	395	100 (KG)	
	बायोगैस	—	—	
	एलपीजी गैस	97	14 (KG)	
	विद्युत	—	—	
	सौर उर्जा	—	—	
	अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि)	—	—	
59	वाहन की संख्या			
	वाहन के प्रकार	ग्राम पंचायत में वाहन संख्या (अनुमानित)	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	जीप	2	डीजल	30 किलोमीटर
b	कार	04	पैट्रोल + डीजल	50 किलोमीटर
c	दोपहिया वाहन	100	पैट्रोल	30 किलोमीटर





d	विद्युतचालितवाहन	—		—
e	आटो	4	पैट्रोल	60 किलोमीटर
f	ई-रिक्शा	—	—	—
g	अन्य	—	—	—

60	कृषि यंत्र	ग्राम पंचायत में कृषि यंत्रों/मशीनों की संख्या	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	टैक्टर	16	डीजल	25 किलोमीटर
b	कम्बाइन हारवेस्टर	—	—	—
c	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	—	—	—

61	ग्राम पंचायत में अवस्थित पेट्रोलपम्प (अगर कोई है)									
	ईंधन के प्रकार	प्रतिदिन की बिक्री	पम्प से आपूर्ति वाले गांव की संख्या	कितने प्रकार के वाहन एक दिन/महीना में पेट्रोल पम्प से ईंधन लेते हैं? (समय/ अवधि का उल्लेख करें)						
				टैक्टर	कृषि यंत्र	जीप	कार	दोपहिया वाहन	आटो	ई-रिक्शा
a		NA								
b		NA								

62	औद्योगिक इकाई			
	उद्योग के प्रकार	संख्या	उर्जा के स्रोत: ग्रिड विद्युत (1), डीजल जेनरेटर (2), नवीनीकरण/अक्षय उर्जा (3)	उर्जा की खपत प्रतिमाह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईंधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन)
	इण्टर लाकिंग ब्रिक्स निर्माण	1	(2)	10 लीटर प्रतिदिन





अनुलग्नक III: एचारवीसेए (HRVCA) रिपोर्ट

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना
ग्राम पंचायत—जवाहर नगर पुरसारी
विकास खण्ड—जैथरा, जनपद—एटा (उ०प्र०)



प्रस्तुतिकरण—राष्ट्रीय मूक बधिर विद्यालय समिति, फिरोजाबाद

टीम सदस्य—संजीव कुलश्रेष्ठ, आकांक्षा कुलश्रेष्ठ, प्रवीण कुमार

ग्राम पंचायत जवाहर नगर पुरसारी – परिचय

ग्राम पंचायत जवाहर नगर पुरसारी उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में तहसील अलीगंज के ब्लॉक जैथरा के अन्तर्गत आता है। यह ग्राम पंचायत जनपद एटा की सीमांत ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत की सीमा से जनपद कासगंज की सीमा मिलती है। यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 42 किमी०, तहसील मुख्यालय से 32 किमी० एवं ब्लॉक मुख्यालय से 15 किमी० की दूरी पर स्थित है। इस ग्राम पंचायत में 5 राजस्व गाँव (जवाहर नगर, पुरसारी आठ बिस्वा, पुरसारी बारह बिस्वा, गनपतिपुर एवं नगला मल्ले) आते हैं। धुमरी-पटियाली मार्ग यहाँ का मुख्य सम्पर्क मार्ग है।

यहाँ के ग्राम प्रधान श्री अरविन्द राठौर काफी सक्रिय रूप से ग्राम के विकास के लिये तत्पर रहते हैं। उनके द्वारा पूरे गाँव में जगह-जगह सी०सी०टीवी कैमरे लगवाए गए हैं जिससे अपराधों पर अंकुश लगा है। लोग आपस में लड़ने झगड़ने से पहले सतर्क रहते हैं, साथ ही किसी तरह की सूचना देने के लिए पूरे गाँव में जगह-जगह मार्क लगे हैं जिससे एक बार में ही पूरे गाँव में सूचना हो जाती है, साथ ही गाँव की कुछ गलियों में सोलर स्ट्रीट लाइट भी लगवाई गई है।

धुमरी पटियाली मार्ग से आने पर सबसे पहला गाँव नगला मल्ले पड़ता है, इस गाँव में 85 परिवार रहते हैं, सभी परिवार यादव समुदाय से आते हैं, यहाँ अधिकांश घर पक्के हैं एवं कुछ घर कच्चे हैं। गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय एक बड़ी पानी की टंकी है, एक इण्टरलॉकिंग ब्रिक्स बनाने हेतु लघु उद्योग स्थापित है, नगला मल्ले से लगभग 1 किलोमीटर आगे गनपतिपुर है, यह छोटा गाँव है जहाँ 12 परिवार निवास कर रहे हैं, यहाँ जूनियर हाईस्कूल एवं एक सामुदायिक शौचालय है। यहीं से सटा हुआ पुरसारी आठ बिस्वा गाँव है जिसमें 90 परिवार निवास कर रहे हैं जो सामान्य वर्ग (ठाकुर एवं ब्राह्मण) से है। गाँव में ही नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं।

पुरसारी आठ बिस्वा के सामने ही पुरसारी बारह बिस्वा गाँव है जहाँ 65 परिवार निवास करते हैं जिनमें अधिकांश परिवार ठाकुर और कुछ ब्राह्मण परिवार हैं। पुरसारी बारह बिस्वा में ही एक प्राथमिक विद्यालय है। ग्राम पंचायत का पौंचवा गाँव जवाहर नगर है जो पुरसारी बारह बिस्वा से सटा हुआ है। यह सबसे बड़ा गाँव है, यहाँ 240 परिवार निवास करते हैं, यहाँ मिश्रित आबादी है जिनमें सामान्य वर्ग (ठाकुर, ब्राह्मण) अन्य पिछड़ा वर्ग (नाई) अल्पसंख्यक (मुस्लिम) एवं अनूसूचित जाति (धोबी, जाटव, मेहतर) हैं, यहाँ पंचायत भवन, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सरकारी राशन की दुकान है।

ट्रान्जेक्ट भ्रमण

ग्राम प्रधान श्री अरविन्द राठौर द्वारा दो दिन पूर्व दी गयी सूचना पर निर्धारित समय पर पंचायत भवन जवाहर नगर पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, ग्रामसभा सदस्यों, आगनबाडी कार्यकर्त्रियों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एवं समुदाय के सदस्यों के साथ जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, आपदा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता आकलन की पहचान के साथ स्थानीय मुद्दों पर चर्चा के उपरान्त पूरे ग्राम पंचायत में ट्रान्जेक्ट वॉक किया गया।

ट्रान्जेक्ट वॉक पंचायतघर से प्रारम्भ होकर जवाहर नगर पुरसारी बारह बिस्वा, पुरसारी आठ बिस्वा, गनपतिपुर एवं नगला मल्ले होते हुये वापस पंचायत भवन पर समाप्त हुई जिसके अवलोकन पर यह पाया गया कि गाँव में अधिकांश गलियां पक्की हैं, परन्तु पाईपलाइन पडने के कारण अधिकांश गलियां टूट गई हैं। पंचायत भवन से जासमई मार्ग पर ढलान होने से जवाहर नगर की नालियों का पानी चकरोड एवं आबादी के पास के खेतों में फैल रहा है जिससे यहाँ जलजमाव की स्थिति बन गयी है साथ ही इन खेतों में खड़े बड़े-बड़े वृक्ष जलजमाव होने से सड़कर गिर रहे हैं, खेतों की उर्वरा शक्ति कम हो रही है एवं जलजमाव से मच्छर, कीट-पतंगे आदि पनप रहे हैं जिनसे बीमारियां (मलेरिया, डेगू, हैजा, चिकिनगुनिया, टाइफाइड आदि होने का खतरा बना रहता है एवं कीट पतंगे फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं साथ ही पास के जलश्रोतों का जल भी दूषित होने का भय बना रहता है ।

गाँव में 20 कुंए है, जो सूखें एवं निष्प्रयोज्य हो गए हैं। गाँव नगला मल्ले के पास एक बड़ी पानी की टंकी तैयार हो गई है एवं गांव में जल आपूर्ति हेतु पाईपलाइन डालने का कार्य चल रहा है। पेयजल हेतु ग्राम पंचायत में 40 सरकारी हैण्डपम्प एवं 415 व्यक्तिगत हैण्डपम्प हैं, एवं कृषि कार्य हेतु 17 टयूबवेल हैं । गाँव में जलनिकासी हेतु एक नाला गनपतिपुर से धुमरी पटियाली रोड की तरफ है। ग्राम पंचायत के पुरसारी बारह बिस्वा गाँव में विजेन्द्र सिंह का बीस बीघा में आम का बाग है, पुरसारी आठ बिस्वा में दो आम के बाग हैं, श्रीपाल सिंह का पाँच बीघा, लोकपाल का चार बीघा।

लोगों बताया कि गाँव में पाँच तालाब—पियरी तालाब, चरक का तालाब, धूबियाई तालाब, महोनी तालाब एवं जमुनी तालाब जिसमें पियरी तालाब में अमृत सरोवर निर्माण कार्य चल रहा है एवं शेष चरक तालाब एवं महोनी तालाब पर आंशिक तथा धूबियाई एवं जमुनी तालाब पर पूर्ण अतिक्रमण है।

गाँव में कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है । ग्रामीण अपनी सुविधा से घरों का कूड़ा घूरों पर एवं इधर उधर सडकों, नालियों में फेंक देते हैं जिससे नालियां चोक पडी हैं। गाँव में प्लास्टिक बैंक (डस्टबिन) हैं जिनमें ग्रामीण प्लास्टिक कचरा एकत्र सकते हैं, जिसका उठान वैकल्पिक दिनों में होता है। गाँव में प्रकाश हेतु 16 सोलर स्ट्रीट लाईट लगी हैं । गाँव में सी0सी0 टीवी कैमरे

एवं लाउडस्पीकर लोगों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए लगे हैं, साथ ही गाँव में एक सामुदायिक शौचालय, 225 अनुदानित शौचालय एवं 100 व्यक्तिगत शौचालय हैं ।

धूमरी पटियाली मार्ग से जूनियर हाईस्कूल तक का मुख्य सम्पर्क मार्ग जगह-जगह पर टूटा फूटा है जिससे बारिश के मौसम में आवागमन काफी मुश्किल रहता है ।

पॉचों गाँव में भ्रमण के दौरान यह अवलोकित किया गया कि पुरसारी आठ बिस्वा एवं गनपतिपुर सबसे निचला इलाका है, वहीं जवाहर नगर सबसे ऊँचा क्षेत्र होने से बाढ़ आपदा के समय उपयोगी स्थान है ।

(गतिविधि एवं सारणी अवलोकन हेतु संलग्नक संख्या-01, 02 देखें)

सामाजिक मानचित्रण

ग्राम पंचायत जवाहर नगर पुरसारी एटा से अलीगंज मार्ग पर 26 किमी० की दूरी पर कस्बा धुमरी से (धुमरी-पटियाली मार्ग पर) 16 किमी० की दूरी पर स्थित है, जिसका विवरण गाँव भ्रमण एवं सामाजिक मानचित्रण तैयार करने के उपरान्त किया गया है, जो निम्नवत है—

विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत का कुल क्षेत्रफल	440 एकड़	पॉच राजस्व गाँव, कृषि भूमि ,बाग बगीचा, खुले मैदान एवं आबादी क्षेत्र मिलाकर
वन क्षेत्र	8 एकड़	नगला मल्ले एवं गनपतिपुर
कुल राजस्व गाँव	5	जवाहर नगर, पुरसारी बारह बिस्वा, पुरसारी आठ बिस्वा, गनपतिपुर एवं नगला मल्ले
कुल घरों की संख्या	492	जवाहर नगर, (240 घर) पुरसारी बारह बिस्वा (65घर), पुरसारी आठ बिस्वा (90घर), गनपतिपुर (12 घर) एवं नगला मल्ले (85 घर)
कुल पक्के घर	445	जवाहर नगर, (222 घर) पुरसारी बारह बिस्वा (59घर), पुरसारी आठ बिस्वा (80घर), गनपतिपुर (10 घर) एवं नगला मल्ले (74 घर)
कुल कच्चे घर	47	जवाहर नगर, (18 घर) पुरसारी बारह बिस्वा (6घर), पुरसारी आठ बिस्वा (10घर), गनपतिपुर (2 घर) एवं नगला मल्ले (11 घर)
आर्थिक रूप से कमजोर परिवार	40	जवाहर नगर, पुरसारी बारह बिस्वा, पुरसारी आठ बिस्वा, गनपतिपुर
विकलांगजन	15	9 पुरुष एवं 6 महिला
महिला मुखिया	40	पॉचों गाँवों को मिलाकर

हैण्डपम्प (सरकारी)	40	जवाहर नगर, पुरसारी बारह बिस्वा, पुरसारी आठ बिस्वा, गनपतिपुर
हैण्डपम्प (प्राइवेट)	415	जवाहर नगर, पुरसारी बारह बिस्वा, पुरसारी आठ बिस्वा, गनपतिपुर


जातिगत/श्रेणीगत विवरण

सामान्य जाति के घरों की संख्या	349
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	89
अनूसूचित जाति के घरों की संख्या	47
अल्पसंख्यक (मुस्लिम)	07
कुल घरों की संख्या	492

ग्राम पंचायत जवाहर नगर पुरसारी में 5 गाँव (जवाहर नगर, पुरसारी बारह बिस्वा, पुरसारी आठ बिस्वा, गनपतिपुर एवं नगला मल्ले) हैं, यहाँ सभी जाति वर्ग मिश्रित रूप से निवास कर रहे हैं जैसे ठाकुर, ब्राहमण, यादव, जाटव, वाल्मीकि, धोबी, नाई मुस्लिम आदि जातियाँ हैं कुल 40 परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, गाँव में 15 विकलांगजन है, 40 महिला मुखिया परिवार हैं जिनमें आय का स्रोत मुख्य रूप से महिलाएं है। यहाँ के परिवार मुख्य रूप से खेती (कृषि), दुकानें, पशुपालन, मजदूरी, अध्यापन एवं सरकारी नौकरी आदि पर निर्भर हैं। गाँव में पक्के मकानों की सं० 445 है जबकि कच्चे मकानों की संख्या 47 है।

आजीविका के साधन—

आजीविका के साधन	परिवारों की संख्या
सरकारी नौकरी (अध्यापन, बैंक)	10
उधम/कुटरी उद्योग	03
कृषि आधारित	335
पशुपालन	43
स्थानीय दुकान	07
गैर कृषि मजदूर	94
योग	492



(सामाजिक मानचित्रण गतिविधि हेतु संलग्नक संख्या-03, 04 देखें)

खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता आंकलन

जलवायु परिवर्तनशीलता— प्रवृत्ति/परिवर्तन, मुख्य चुनौतियाँ/झटके एवं तनाव :—

ग्राम पंचायत जवाहर नगर पुरसारी में पिछले 45 वर्षों में सभी मौसमों (गर्मी, सर्दी एवं बरसात) में परिवर्तन महसूस किया गया है, जहां पूर्व में गर्मी अप्रैल से सितम्बर तक रहती थी वहीं अब मार्च से अक्टूबर तक गर्मी रहती है। गर्मी के दिन अधिक होने के साथ ही तापमान में भी वृद्धि हुई है। विगत वर्षों में सर्दी के मौसम में भी कमी महसूस की गयी है, जहां पूर्व में सर्दी अक्टूबर से प्रारम्भ होकर मार्च तक रहती थी वहीं अब मात्र नवम्बर से फरवरी तक ही रहती है, जहां सर्दी के मौसम में कमी हुई है वहीं कड़कड़ाती सर्दी के दिनों में भी कमी हुई है। बरसात के दिनों में भी कमी हुई है जहां पूर्व में मई के अन्तिम सप्ताह से रुक-रुक कर बारिश होने लगती थी एवं बारिश सितम्बर तक होती थी वहीं अब मात्र जुलाई एवं अगस्त में बारिश होती है, अब बारिश की आवृत्ति में कमी हुई है साथ ही बारिश की मात्रा भी कम हो गयी है, जहां पूर्व में लगातार दो-तीन दिनों तक बारिश होती थी वहीं अब मात्र कुछ ही घण्टों की बारिश होती है। गर्मी अधिक एवं देर तक पड़ने से फसल चक्र में भी बदलाव देखा जा सकता है गेहूं की फसल अब देर से बोई जाती है एवं पानी अधिक लगाना पड़ता है जिससे फसल का लागत मूल्य बढ़ जाता है। गैर मानसून ऋतु में होने वाली बारिश में भी परिवर्तन हुआ है। अचानक मौसम में बदलाव हो जाता है एवं कभी भी बारिश, ओलावृष्टि हो जाती है जिससे फसलें नष्ट हो जाती है एवं किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है।

ग्रामीण सहभागी आंकलन की विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए जलवायुगत आपदा, खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता आंकलन हेतु अपेक्षित सूचनाओं का संकलन किया गया जो निम्नवत् है—

गांव को प्रभावित करने वाली आपदाओं की पहचान एवं इनका प्राथमिकीकरण —

सामुदायिक सदस्यों के साथ स्थानीय आपदाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गयी जिससे उनकी आजीविका स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल एवं साफ-सफाई प्रभावित होते हैं चर्चा के उपरान्त आपदाओं की सूची बनाई गयी सूची में अंकित आपदाओं एवं उनसे उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए उनका प्राथमिकीकरण किया गया। जवाहर नगर पुरसारी ग्राम पंचायत की मुख्य आपदा जलजमाव, सूखा, बाढ़ आदि हैं जिससे आजीविका, खेती, स्वास्थ्य, पेयजल एवं साफ-सफाई आदि प्रभावित होती है।

आपदा का इतिहास एवं क्षति—

सामुदाय के साथ आपदाओं के बारे में विस्तृत चर्चा होने पर गाँव के बुजुर्गों द्वारा 1980 की बाढ़ का जिक्र किया गया जिसमें अत्यधिक बारिश एवं नहर ओवरफ्लो से 240 एकड़ खेती का नुकसान का पता चला, इसके पश्चात 1986 में हुये अग्निकांड जिसमें ट्रैक्टर (थ्रेशर) से निकली चिंगारी से पूरे

गाँव की थ्रेसिंग के लिए एकत्रित गेहू की तैयार फसल ने आग पकड़ ली थी, जिसने देखते-देखते आग ने भयावह रूप ले लिया था जिससे न सिर्फ फसलें अपितु लोगों के फूस से बने कच्चे घर एवं घरों का सामान आदि आग से जल कर नष्ट हो गया था, आग इतनी भयावह थी कि ग्रामीणों एवं दमकल द्वारा आग पर तीन दिन बाद काबू पाया जा सका, साथ ही गाँव में समय समय पर आई आपदा का जिक्र ग्रामीणों द्वारा किया गया जिसकी विस्तृत रिपोर्ट हेतु संलग्नक देखें।

(विस्तृत रिपोर्ट हेतु संलग्नक 05, 06, 07 देखें)

आपदा की पहचान एवं प्राथमिकीकरण के उपरान्त समुदाय द्वारा तैयार कराया गया आपदा का मौसमी चित्रण

आपदा का मौसमी चित्रण

आपदा	जन०	फर०	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग०	सित०	अक्टू०	नव०	दिस०
जलजमाव												
बाढ़												
सूखा												
हूँ												
ओलावृष्टि												
शीतलहर												
आंधी/तूफान												

जलजमाव गाँव की प्रमुख समस्या है जलनिकासी की उचित व्यवस्था न होने से गाँव की नालियों का पानी गलियों एवं चकरोड पर बहता है, चकरोड से होकर यह पानी खेतों में फैल जाता है जिससे कृषि उपज प्रभावित होती है। उक्त गन्दे पानी से मच्छर, मक्खी, कीट-पतंगे पैदा होते हैं जो मानवीय बीमारियों को बढ़ावा देने के साथ ही फसलों को भी काफी नुकसान पहुँचाते हैं साथ ही जलजमाव से नजदीक के जलश्रोतों (हैण्डपम्प) का पानी भी दूषित होता है जिसको पीकर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

2 . जलवायु परिवर्तन जनित आपदा के जोखिम/खतरों का आकलन

उपरोक्त आपदाओं से संभावित जोखिम/नुकसान, समुदाय एवं संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई ।

ग्राम पंचायत जवाहर नगर पुरसारी पर आपदाओं से पर्यावरणीय, बुनियादी एवं आधारभूत संरचना के साथ ही मानव जीवन, आजीविका एवं स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

बाढ़, जलजमाव, सूखा, ओलावृष्टि, लू, शीतलहर एवं आंधी-तूफान आदि आपदाओं का जवाहर नगर पुरसारी ग्राम पंचायत के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों पर इनके प्रभाव से जोखिम/खतरा की संभावना बन जाती है।

समुदाय के लोगों के अनुसार आपदाओं से उन्हें प्रतिवर्ष तरह-तरह के नुकसान सहने पड़ते हैं जो इस प्रकार हैं –

खतरा एवं जोखिम विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएं –

क्रम	आपदा/खतरे	संभावित जोखिम का क्षेत्र	संभावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र			
			जोखिम	आबादी	प्रभावित घर/व्यक्ति	संसाधन
1	जलजमाव	स्वास्थ्य	जलजनित बीमारियाँ जैसे हैजा, टाइफाइड, डेंगू	जवाहर नगर, गनपतिपुर, पुरसारी बारह बिस्वा	70 घर
		शिक्षा	बच्चों की अनुपस्थिति	जवाहर नगर, गनपतिपुर, पुरसारी बारह बिस्वा	45 घर	विद्यालय, सड़क, नाली
		पेयजल	गन्दा पानी जलश्रोत में जाने से पेयजल दूषित एवं बीमारी का जोखिम	जवाहर नगर, गनपतिपुर, पुरसारी बारह बिस्वा	70 घर	हैंडपम्प का पानी दूषित
		कृषि	हानिकारक कीटों के प्रकोप से फसल का नुकसान	कृषक वर्ग	78 घर	खेत एवं फसल
		आजीविका	कृषि मजदूरों को मजदूरी न मिलना	कृषक वर्ग	15 घर	खेत एवं फसल
		जलनिकासी की समस्या	नाली में गन्दा पानी भरे रहना	जवाहर नगर, गनपतिपुर, पुरसारी बारह बिस्वा	पूरा गाँव	नालियों में जलभराव
		स्वच्छता	अपशिष्ट बहकर आबादी में फैलना	जवाहर नगर, गनपतिपुर, पुरसारी बारह बिस्वा	पूरा गाँव	सड़क, नालिया
		पशुपालन	पशुओं में बीमारी जैसे खुरपका, मुंहपका चोट लगना आदि	पशु गाय भैंस, बकरी सूअर पालन आदि	225 जानवर	गाय, भैंस, बकरी एवं सूअर पालन

		सामाजिक सुरक्षा	महिलाओं, बच्चों एवं विकलांगों की फिसलकर गिरने का जोखिम	जवाहर नगर, गनपतिपुर, पुरसारी बारह बिस्वा	पूरा गाँव	सडक, नालियां
2	सूखा	कृषि	सूखे से फसल प्रभावित, सिंचाई से फसल लागत बढ़ने का जोखिम	पूरा गाँव	335 परिवार	352 एकड़ खेती
		पेयजल	जलस्तर नीचे होने से पेयजल संकट	पूरा गाँव	492 परिवार	प्राइवेट एवं सरकारी हैण्डपम्प का जलस्तर नीचा हो जाना
		पशुपालन	गर्मी से बीमारियाँ, चारे का संकट, दुग्ध उत्पादन में कमी	365 पशु	225 परिवार	चारागाह गौशाला
3	बाढ़	कृषि	खरीफ की फसल का नुकसान	पॉचों गाँव के निचले खेत	235 परिवार	170 एकड़ खेत में बाढ़ का पानी
		उद्यान/सब्जी	सब्जी की फसल का खराब होना	सब्जी की फसल	40 परिवार	30 एकड़ खेत
		पशुपालन	जलभराव के कारण पशुओं में बीमारियाँ	पॉचों गाँव के पशु	पूरा गाँव	पशुचारा एवं पशु, गौशाला
		आजीविका	खेती डूबने से कृषक मजदूरों में आजीविका संकट	कृषक मजदूर परिवार	15 परिवार	खेतों में पानी होने से काम न मिलना
		पेयजल	पेयजल दूषित होना	जवाहर नगर, पुरसारी आठ बिस्वा, पुरसारी बारह बिस्वा, गनपतिपुर, नगला मल्ले	पूरा गाँव	हैण्डपम्प, टयूबेल
4	लू	स्वास्थ्य	मानव एवं पशु को लू लगना हैजा, डायरिया एवं टाइफाइड का जोखिम	पूरा गाँव	492 परिवार	
		शिक्षा	बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित होने से अनुपस्थिति	150 बच्चे	80 परिवार	शिक्षा बाधित
5	शीतलहर	कृषि	फसलों का झुलसना एवं फफूंदी लगने का खतरा	कृषि क्षेत्र	335 परिवार	खेत

		पशुपालन	शीतलहर से पशुओं में बीमारी	पूरा गाँव	150 परिवार	
		स्वास्थ्य	बुजुर्गों एवं बच्चों को ठंड लगना	पूरा गाँव	492 परिवार	240 बुजुर्ग एवं 400 बच्चे

आजीविका के साधनों पर आपदा का प्रभाव—

ग्राम पंचायत जवाहर नगर पुरसारी में ग्रामीणों के आजीविका का मुख्य साधन कृषि, कृषिगत मजदूरी, दुकानें, दैनिक मजदूरी, पशुपालन, सरकारी नौकरी आदि हैं, आजीविका के साधन जब आपदा से प्रभावित होते हैं तो ग्रामीणों की आजीविका भी प्रभावित होती है। जिसकी सम्बन्धित सूचनाएं विस्तृत रूप से संकलित कर संलग्न की गई है।

(संलग्नक संख्या 08 देखें)

3. नाजुकता विश्लेषण

जलवायु परिवर्तन से बढ़ रही आपदाओं जैसे कि सूखा, बाढ़, लू, शीतलहर आदि से प्रभावित गाँव और उसमें निवास कर रहे व्यक्तियों का जनजीवन एवं जीवनयापन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिससे नाजुकवर्ग जैसे वृद्ध महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग, गर्भवती महिलाएं आदि भिन्न भिन्न रूप से प्रभावित होते हैं, इसलिए गाँव का नाजुकता विश्लेषण अति आवश्यक है।

1— जलजमाव ग्राम पंचायत जवाहर नगर पुरसारी में जलजमाव भी एक मुख्य समस्या है गाँव जवाहर नगर में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने का कारण यहाँ जलजमाव वर्ष भर रहता है। जवाहर नगर से जासमई वाले चकरोड पर पंचायत भवन से आगे गाँव की नालियों का पानी चकरोड एव पास के खेतों में फैलता है जिससे यहाँ जलजमाव की स्थिति बनी रहती है साथ ही खेतों में खड़े बड़े बड़े वृक्ष भी जलभराव से सड़कर गिर रहे हैं, खेतों का उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है, जलजमाव से मच्छर, कीटपतंगे आदि पनपते हैं जिनसे बीमारियाँ (मलेरिया, चिकिनगुनिया, डेंगू, हैजा, टाइफाइड आदि) होने का खतरा रहता है एवं कीट पतंगे फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही पास के जलश्रोतों द्वारा भी दूषित पेयजल आने से बीमारियाँ बढ़ती हैं। वर्षाकाल में जलजमाव बढ़ने से आवागमन की चुनौती और बढ़ जाती है।

● गनपतिपुर में भी जलनिकासी की उचित व्यवस्था न होने तथा नालियों के जगह जगह टूटे फूटे होने, तथा गाँव की नालियों का किसी मुख्य नाले से जुड़ाव न होने से जलजमाव की समस्या वर्ष भर रहती है।

- गाँव में नवनिर्मित पानी की टंकी से कनेक्शन हेतु गाँव में पाईपलाइन बिछाने के कारण अधिकांश गलियां एवं नालियां टूट गई हैं जिससे भी जलजमाव की समस्या और अधिक बढ़ गई है।

जलजमाव से प्रभावित समुदाय

- जलजमाव से बढ़ रही गन्दगी से पनप रहे कीट, मच्छर, बैक्टीरिया आदि से बच्चों में डेंगू, मलेरिया, चिकिनपॉक्स, टाइफाइड आदि बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों का मार्ग भी जलजमाव से अवरुद्ध होता है।
- गाँव में जलजमाव से पशुओं पर भी फिसलकर गिरने और दूषित जल के प्रयोग से बीमार होने का खतरा भी बना रहता है।
- गाँव का गन्दा (नाली का पानी) आगे चलकर खेतों में जमा हो जाता है जिससे फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और फसल कीट-पतंगे, मकड़ी आदि से प्रभावित होती है और फसल की गुणवत्ता नष्ट हो जाती है।
- मानसून के दिनों में किसान जो खेतों की ओर जाने के लिए चकरोड का प्रयोग करते हैं उन पर गिरकर या (फिसल कर) गिरने और चोटिल होने का खतरा रहता है।
- जलजमाव के कारण गाँव के समस्त निवासियों के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है।

2- सूखा-

ग्रामीणों के अनुसार विगत वर्षों में ग्रीष्मकाल की समयावधि बढ़ गई है जिस कारण वर्षा देरी से हो रही है और कई बार वर्षा न होने से या कम वर्षा होने से खरीफ की फसलें (जिसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती हैं) पर सूखे का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है यद्यपि गाँव में 20 कुएं भी हैं परन्तु वे निष्प्रयोज्य हैं या सूखे हैं तथा गन्दगी, कूड़ा, पालीथिन, मिट्टी निस्तारण हेतु प्रयोग में लाए जा रहे हैं जिससे गाँव में पेयजल की समस्या होती है। गाँव में कुल पाँच तालाब हैं जिनमें चार सूखे हैं एवं लोगों का अतिक्रमण भी है। केवल एक तालाब ही है जिस पर अमृतसरोवर विकसित करने का कार्य चल रहा है, किन्तु भूमिगत जलस्तर निरन्तर नीचे गिरने से लोगों को कृषि कार्य में सूखे का सामना करना पड़ रहा है।

प्रभावित समुदाय –

- सूखा से जलस्तर घटने से पेयजल की दिक्कत रहती है जिस कारण महिलाओं को दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है जिससे उनका दैनिक कार्य प्रभावित होता है ।
- सूखे से पशुओं हेतु हरे चारे की कमी हो जाती है जिससे पशुओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और दुग्ध उत्पादन में भी कमी आ जाती है ।
- सूखे से किसान प्रभावित होता है, क्योंकि फसलों में जल आपूर्ति न होने से फसल सूख जाती है जिससे आर्थिक क्षति होती है ।
- फसल में अधिक सिंचाई की आवश्यकता से फसल का लागत मूल्य बढ़ जाता है, ग्रामीणों के अनुसार ट्यूबवेल स्वामी 130 रुपये प्रति घण्टा से पानी उपलब्ध कराते हैं ।

3— बाढ़

ग्राम पंचायत जवाहर नगर पुरसारी में ग्रामीणों को 3 बार बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा है। पहली बार सन 1980 में अत्यधिक बारिश एवं नहर ओवरफ्लो हो जाने से बाढ़ की विभीषिका ने पूरे ग्राम पंचायत में बसें लोगों एवं पशुओं का जीवन अस्तव्यस्त कर दिया था इसके उपरान्त 1993 में दूसरी बाढ़ आई जिसका कारण भी अत्यधिक बारिश एवं नहर का ओवरफ्लो ही था जिससे पूरा गाँव प्रभावित हुआ, लोगों के खेतों पर जलजमाव से फसलें नष्ट हो गयी थीं और लोगों के कच्चे घर ढह गए थे , जिसके बाद किसानों द्वारा खेतों पर ऊँची मेड़ निर्माण एवं पक्के घरों का निर्माण किया गया था, अन्तिम बार गाँव में बाढ़ 2004 में आयी थी जिसका कारण भी अत्यधिक बारिश एवं नहर ओवरफ्लो था जिसमें 165 परिवार प्रभावित हुये थे जिसके उपरान्त सरकार द्वारा नहर की गहरी खुदाई करा दी गई ।

प्रभावित समुदाय

- बाढ़ से खेतों में खड़ी फसलों की गुणवत्ता क्षीण हो जाती है, जिससे फसल का बाजार मूल्य कम हो जाता है ।
- बाढ़ से खेतों में जलजमाव हो जाता है, परिणामस्वरूप फसल नष्ट हो जाती है अथवा कीट आदि का प्रकोप हो जाता है, जिससे किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।
- बाढ़ से पशुचारा भी नष्ट हो जाता है, जिससे कि पशुओं के लिए भोजन का संकट उत्पन्न होता है ।

4. लू –

लू भी स्थानीय समुदाय को प्रभावित करने वाली एक मुख्य चुनौती है, प्रत्येक वर्ष मई से जून माह में ग्रीष्म लहर भी ग्रामीणों के लिए एक बड़ी समस्या होती है क्योंकि इससे धरती पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है और मृदा शुष्क हो जाती है जिससे फसल में अत्यधिक और बार-बार पानी लगाने की आवश्यकता होती है जिस कारण फसल की लागत बढ़ जाती है और गर्म हवाओं से मानव एवं पशुओं पर भी लू लगने और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ जैसे हैजा, बुखार आदि की समस्या आदि आती है

5. ओला वृष्टि—

विगत वर्षों में अचानक और बेमौसम ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो जाती हैं या फसलों की उत्पादन में और गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है जिससे कि किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त ओलावृष्टि व आकाशीय बिजली गिरने से मैदान में बंधे पशुओं को भी चोटिल होने व जीवन का खतरा होता है ,परन्तु ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत जवाहर नगर पुरसारी में ओलावृष्टि की आपदा नहीं आती है क्योंकि सभी ग्रामीण चन्दा इकट्ठा कर भिंड वाली माता पर प्रत्येक वर्ष चढावा भिजवा देते हैं और उनकी मान्यता के अनुसार ओलावृष्टि नहीं होती है।

समुदाय की व्यवहारगत एवं ढाँचागत कमियाँ—

1. गाँव में 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कार्यरत हैं परन्तु गाँव में कोई भी आंगनबाड़ी भवन नहीं है जिससे गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल प्रभावित हो रही है ।
2. लोगों में योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी एवं जागरूकता का अभाव है जैसे— फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पशु बीमा, आदि। जिससे समुदाय की नाजुकता अत्यधिक बढ़ जाती है ।
3. गाँव में 07 स्वयं सहायता समूह हैं, सभी निष्क्रिय हैं एवं किसी भी आयजनक कार्यक्रम से जुड़े नहीं हैं।

4. गाँव में समुदाय आधारित संस्थाओं/संगठनों की कमी है जैसे किसान संगठन, अनाज बैंक, युवा मण्डल दल, महिला मंडल आदि । जिस कारण आपदा के समय समुदाय को सरकारी एवं अन्य सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है ।
5. ग्राम पंचायत में प्रशासनिक समिति, निर्माण कार्य समिति ,स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति पेयजल स्वच्छता एवं जल प्रबंधन समिति, नियोजन एवं विकास समिति एवं शिक्षा समिति होने या न होने एवं उनके कार्यों की जानकारी समुदाय में नहीं पाई गई ।
6. गाँव में सूखा एवं गीला कचरा एक साथ ही इकट्ठा होकर गलियों सड़कों एवं खड्डों आदि के किनारे पड़ा रहता है जिससे यह कचरा बहकर जल निकास को बाधित करता है फलस्वरूप नालियां चौक हो जाती हैं और पानी बहकर सड़कों पर जलजमाव की समस्या को बढ़ाता है, जिससे स्पष्ट है कि लोगों में कचरा प्रबंधन की जागरूकता का अभाव है ।
7. गाँव में कृषिगत गतिविधियों में उर्वरक कीटनाशक खरपतवार नाशक का प्रयोग किसानों द्वारा अत्यधिक मात्रा में किया जाता है जिससे मृदा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।
8. गाँव में जनसुविधा केन्द्र न होने से विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी से लोग वंचित हैं, जानकारी के अभाव में योजनाओं व कार्यक्रमों से जुड़ाव भी नहीं होता है । जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है ।
9. गाँव में पॉच तालाब थे किन्तु वर्तमान में चार तालाबों पर अतिक्रमण होने से ग्रामीणों को सूखे का सामना करना पड़ रहा है ।
10. गाँव में कचरा पात्र नहीं है जिस कारण लोग अपने घरों का कूड़ा गाँव में ही घूरे पर एवं अपनी सुविधानुसार इधर उधर डाल देते हैं ।

4-क्षमता आंकलन

क्लाईमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की दृष्टि से गांव की क्षमता आंकलन आपदाओं के सन्दर्भ में किया गया । क्योंकि आपदा एवं जोखिम से जनजीवन अस्त व्यस्त होता है जिससे आस-पास के उपलब्ध संसाधन भी प्रभावित होते हैं । संसाधन भौतिक, पर्यावरणीय एवं मानव संसाधन के रूप में उपलब्ध होते हैं । इनकी पहचान से खतरों से निपटने में आसानी होती है एवं आपदा के समय मदद मिलना आसान हो जाता है ।

ग्राम पंचायत जवाहर नगर पुरसारी के ग्राम प्रधान श्री अरविन्द राठौर योजनाओं के प्रति जागरूक एवं विकास कार्य में सलग्न रहते हैं जिससे ग्राम पंचायत में विकास कार्य हुये है, ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए सामुदायिक शौचालय, बच्चों की शिक्षा हेतु दो प्राथमिक एवं एक जूनियर हाईस्कूल है । गाँव में ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु सी0सी0टीवी0 कैमरे अधिकांश गलियों में लगे हुये हैं, साथ ही सार्वजनिक सूचना प्रसारण हेतु गाँव में लाउडस्पीकर लगे हैं, जिसका उपयोग किसी आपदा की पूर्व सूचना एवं लोगों को दिशानिर्देश देने हेतु प्रयोग किया जा सकता है । इसके अलावा सोलह

सोलर स्ट्रीट लाईट लगी हुई हैं, चिकित्सा हेतु नवीन स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, गांव में राशन वितरण हेतु राशन की दुकान (सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान) है। आपदा से निपटने हेतु गांव से 42 कि०मी० दूरी पर आपदा विभाग स्थित है। साथ ही साथ एक फायर स्टेशन 8 किमी० की दूरी पर स्थित है। गांव में 07 स्वयं सहायता समूह हैं जिनके खाते बैंक से लिंक है। ग्राम पंचायत का गाँव जवाहर नगर ऊंचे स्थान पर स्थित होने से आपदा प्रबंधन हेतु मददगार साबित हो सकता है।

संसाधन मानचित्र — क्षमता आंकलन को 4 बिन्दु भौतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन एवं वित्तीय संसाधन के रूप में वर्णित किया है, जो समुदाय के साथ चर्चा के उपरान्त उपलब्ध है।

1.भौतिक संसाधन

भौतिक संसाधन	संख्या	स्थान	गांव से दूरी कि०मी०
प्राथमिक विद्यालय	02	पुरसारी बारह बिस्वा एवं नगला मल्ले	ग्राम पंचायत में स्थित
पूर्व माध्यमिक विद्यालय पुरसारी	01	गनपतिपुर	ग्राम पंचायत में स्थित
पंचायत भवन	01	जवाहर नगर	ग्राम पंचायत में स्थित
सरकारी राशन की दुकान	01	जवाहर नगर	ग्राम पंचायत में स्थित
नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	01	पुरसारी आठ बिस्वा	ग्राम पंचायत में स्थित
थाना	01	जैथरा	15
जनपद न्यायालय	01	एटा	42
जिला चिकित्सालय (एम्बुलेंस व्यवस्था)	01	एटा	42
विकस खण्ड कार्या०	01	जैथरा	15
तहसील	01	अलीगंज	32
आपदा विभाग	01	एटा	42
पोस्ट ऑफिस	01	जासमई	2
बिजली विभाग	01	पटियाली	8
इण्टर कॉलेज	01	जासमई	2
डिग्री कालेज	01	पटियाली	8

फायर स्टेशन	01	पटियाली	8
बस स्टेशन	01	नरथर	4.5
रेलवे स्टेशन	01	नरथर	4.5
खाद बीज दवा केन्द्र	01	धुमरी	16
बजार	01	धुमरी	16
बैंक	01	बहोरनपुर	4

2. प्राकृतिक संसाधन

प्राकृतिक संसाधन	संख्या	स्थिति
नाला	01	गनपतिपुर
नहर	01	गाँव से 3 किमी० दूर
बाग	03	पुरसारी बारह बिस्वा, पुरसारी आठ बिस्वा
कुआ	20	जवाहर नगर, पुरसारी बारह बिस्वा, पुरसारी आठ बिस्वा, गनपतिपुर, नगला मल्ले
तालाब	05	जवाहर नगर, पुरसारी आठ बिस्वा, गनपतिपुर
सरकारी हेण्डपम्प	40	जवाहर नगर, पुरसारी बारह बिस्वा, पुरसारी आठ बिस्वा, गनपतिपुर, नगला मल्ले
टूयव बैल	17	जवाहर नगर, पुरसारी बारह बिस्वा, पुरसारी आठ बिस्वा, गनपतिपुर, नगला मल्ले
कृषिगत क्षेत्र	352 एकड	जवाहर नगर, पुरसारी बारह बिस्वा, पुरसारी आठ बिस्वा, गनपतिपुर, नगला मल्ले
खुला क्षेत्र/सामुदायिक भूमि/आबादी	88 एकड	जवाहर नगर, पुरसारी बारह बिस्वा, पुरसारी आठ बिस्वा, गनपतिपुर, नगला मल्ले
पानी की टंकी	01	नगला मल्ले

3. मानव संसाधन— आपदा की स्थिति में मानव संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, मानव संसाधन आपदा के न्यूनीकरण में अहम भूमिका निभाती है, जिसका विवरण निम्न है।

मानव संसाधन	संख्या	नाम	नम्बर
-------------	--------	-----	-------

ग्राम प्रधान	01	अरविन्द राठौर	8433449510
पंचायत सचिव	01	मौहम्मद अजहर खान	9627849493
अवर अभियन्ता	01	यतेन्द्र मोहन सक्सेना	9412282054
पंचायत सहायक	01	रुद्रप्रताप	9761047415
लेखपाल	01	अतर सिंह	7417133737
शिक्षक / शिक्षिका	06	रनवीर सिंह	9759624210
आंगनबाड़ी	03	साधना	9536962596
आशा बहू	02	---	---
ए0एन0एम0	01	सीमापाल	6306692360
तैराक	00	---	---
डाक्टर (झोला छाप)	04	डा0 सतीश	9758975183
राशन डीलर	01	वंशवीर	9536706726
स्वयं सेवी संस्थायें	00	---	---

4. वित्तीय संसाधन — ग्राम पंचायत के पास वित्तीय वर्ष में उपलब्ध होने वाले संभावित वित्तीय संसाधन का विवरण निम्नवत् है—

मद	धनराशि	वर्ष	अन्य
राज्य वित्त आयोग	2.5 लाख	2022-23	—
केन्द्रीय वित्त आयोग	06 लाख	2022-23	—
मनरेगा	22 लाख	2022-23	—
स्वयं के राजस्व का स्रोत	—	—	—

क्लाईमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत (जवाहर नगर पुरसारी) कार्य योजना

ग्राम पंचायत जवाहर नगर पुरसारी में समुदाय के साथ समूह चर्चा एवं ग्राम प्रधान ,अवर अभियन्ता, पंचायत सहायक एवं अन्य के साथ बैठकर विषय वार बिन्दुओं पर गांव की आपदा के परिपेक्ष्य में वर्तमान स्थिति, समस्याओं के निराकरण हेतु विशिष्ट कार्ययोजना के बारे में जानकारी प्राप्त की, विचार विमर्श के उपरान्त जलवायु परिवर्तन, आपदा न्यूनीकरण के तहत क्लायमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना तैयार की गयी। जिसमें जोखिम के कारण एवं समाधान आदि का ब्यौरा तैयार किया गया जो कार्य योजना निम्नवत् है।							
क्रम सं०	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि (रु०)में	अनुमानित अवधि	योजना का परित्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सेक्टर 1—मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा साफ—सफाई एवं स्वच्छता	हैण्डपम्प रीबोर	पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु 15 हैण्डपम्प रीबोर	नगला मल्ले—3 गनपतिपुर —1 पुरसारी आठ बिस्वा —3 पुरसारी बारह बिस्वा—3 जवाहर नगर—5	6 लाख	4 माह	मनरेगा, केन्द्र / राज्य वित्त
2		कुओं की सफाई एवं मरम्मत का कार्य	सूखे एवं कचरों से पटे 10 कुओं की सफाई एवं मरम्मत एवं संरक्षण का कार्य ।	नगला मल्ले—2 गनपतिपुर —1 पुरसारी आठ बिस्वा —2 पुरसारी बारह बिस्वा—2 जवाहर नगर—3	7 लाख 50 हजार	3 माह	मनरेगा
3		सौर ऊर्जा पम्प स्थापना	सूखे की स्थिति से निपटने एवं विद्युत न होने पर कृषि को बचाने हेतु 5 सोलर वाटरपम्प (नलकूप) की स्थापना ।	नगला मल्ले—1 पुरसारी आठ बिस्वा —1 पुरसारी बारह बिस्वा—1 जवाहर नगर—1 गनपतिपुर—1	25 लाख	4 माह	केन्द्र / राज्य वित्त
4		शौचालय निर्माण	विकलांगजनों हेतु शत प्रतिशत शौचालय निर्माण एवं शौचालय विहीन घरों में प्राथमिकता के आधार पर 50 शौचालय का निर्माण	नगला मल्ले—10 गनपतिपुर —4 पुरसारी आठ बिस्वा —12 पुरसारी बारह बिस्वा—8 जवाहर नगर—16	6 लाख	3 माह	केन्द्र / राज्य वित्त
		कूड़ा पात्र रखवाना		नगला मल्ले—5 गनपतिपुर —3	1 लाख 25 हजार	1 माह	केन्द्र / राज्य वित्त

5			कूड़ा निस्तारण हेतु 25 कूड़ा पात्र (डस्टविन) रखवाना	पुरसारी आठ बिस्वा-5 पुरसारी बारह बिस्वा-5 जवाहर नगर-7			
क्रम सं०	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि (रु०)में	अनुमानित अवधि	योजना का परित्यय
6		सफाईकर्मियों की नियुक्ति	कूड़ा निस्तारण, गलियों/रास्तों की सफाई हेतु 2 सफाईकर्मियों की नियुक्ति	सभी ग्रामों में मिलाकर	2 लाख 40 हजार प्रतिवर्ष	1 माह	केन्द्र/राज्य वित्त
7		जैविक/अजैविक कूड़ा प्रबन्धन केन्द्र	ग्राम पंचायत की जमीन में जैविक/अजैविक कूड़ा प्रबन्धन केन्द्र निर्माण	जवाहर नगर	8 लाख	4 माह	केन्द्र/राज्य वित्त
8		वर्मी कम्पोस्ट एवं नाडेप जैविक खाद पिट का निर्माण	मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु 20 वर्मी कम्पोस्ट एवं 10 नाडेप जैविक खाद पिट का निर्माण	पौचों गोंव में 2 वर्मी कम्पोस्ट एवं 1 नाडेप जैविक पिट का निर्माण	3 लाख	6 माह	मनरेगा, केन्द्र/राज्य वित्त
9		नाले की सफाई एवं खुदाई	जलजमाव से बचाव हेतु वर्तमान नाले (नगला गंगी से जासमई) की सफाई एवं खुदाई (2 किमी०)	नगला मल्ले एवं गनपतिपुर	20 लाख	4 माह	मनरेगा, केन्द्र/राज्य वित्त
10		नाला निर्माण	जलजमाव से मुक्ति हेतु गनपतिपुर से चरक का ताल तक नाले का निर्माण (1 किमी०)	गनपतिपुर	30 लाख	4 माह	मनरेगा केन्द्र/राज्य वित्त
11		नाला निर्माण	ओमपाल के घर से जमुनी ढेर तालाब तक नाले का निर्माण (600 मी०)	जवाहर नगर	18 लाख	3 माह	मनरेगा, केन्द्र/राज्य वित्त
12		नाली निर्माण	गंदे पानी की निकासी हेतु शिवजी के घर से सुरेश की चक्की तक दोनों ओर नाली निर्माण(600 मी०)	गनपतिपुर	12 लाख	2 माह	मनरेगा, केन्द्र/राज्य वित्त

13		नाली निर्माण	गंदे पानी की निकासी हेतु शिवपाल सोलंकी के घर से छुट्टू बाबा के चकरोड तक नाली निर्माण(300 मी0)	पुरसारी आठ बिस्वा	6 लाख	2 माह	मनरेगा, केन्द्र /राज्य वित्त	
क्रम सं0	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि (रु0)में	अनुमानित अवधि	योजना का परिचय	
14	सेक्टर-2 बुनियादी/आधार भूत संरचना एवं पर्यावरण	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	3 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण (कमरा, स्टोर, बरामदा एवं शौचालय)	नगला मल्ले-1, पुरसारी आठ बिस्वा -1 जवाहर नगर-1	30 लाख	6 माह	केन्द्र /राज्य वित्त	
15		तालाब संरक्षण	चरक का तालाब का संरक्षण कार्य (खुदाई, सफाई, चौहद्दी निर्माण एवं वृक्षारोपण आदि (35बीघा)	गनपतिपुर	25 लाख	4 माह	मनरेगा, केन्द्र /राज्य वित्त	
16		सोख्ता गड्ढा (रेनवाटर हार्वेस्टिंग)	भूगर्भ जल प्रबंधन हेतु 15 सोख्ता गड्ढा	नगला मल्ले-3 गनपतिपुर -2 पुरसारी आठ बिस्वा -3 पुरसारी बारह बिस्वा-3 जवाहर नगर-4	7 लाख 50 हजार	3 माह	मनरेगा, केन्द्र /राज्य वित्त	
17		सौर ऊर्जा द्वारा प्रकाश व्यवस्था	50 घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल स्थापना एवं प्रकाश व्यवस्था	नगला मल्ले-10 गनपतिपुर -5 पुरसारी आठ बिस्वा -12 पुरसारी बारह बिस्वा-8 जवाहर नगर-15	10 लाख	2 माह	केन्द्र /राज्य वित्त	
18		मेडबन्दी कर वृक्षारोपण	800 फलदार, छायादार वृक्षों का रोपण व ट्री गार्ड द्वारा संरक्षण	सम्पर्क मार्गों , अमृतसरोवर एवं आसपास के खेतों पर	15 लाख	4 माह	मनरेगा	
19		सडक निर्माण	जूनियर हाईस्कूल पुरसारी से पटियाली धुमरी मार्ग तक आरसीसी /इण्टरलॉकिंग (1.5 किमी0)	गनपतिपुर से पटियाली धुमरी मार्ग तक	1 करोड 20 लाख	5 माह	मनरेगा, केन्द्र /राज्य वित्त	

20		सड़क निर्माण	रंजीत सोलंकी के घर से श्रीपाल सिंह के खेत तक आरसीसी / इण्टरलॉकिंग (1 किमी0)	पुरसारी आठ बिस्वा	80 लाख	4 माह	मनरेगा, केन्द्र / राज्य वित्त
21		सड़क निर्माण	शिवजी के घर से अजीत नगला रोड तक आरसीसी / इण्टरलॉकिंग (1050 मी0)	गनपतिपुर	84 लाख	4 माह	मनरेगा, केन्द्र / राज्य वित्त
क्रम सं0	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि (रु0)में	अनुमानित अवधि	योजना का परिचय
22	सेक्टर-2 बुनियादी / आधार भूत संरचना एवं पर्यावरण	सड़क निर्माण	धर्मवीर के घर से मुकेश भदौरिया की बैठक तक आरसीसी / इण्टरलॉकिंग (250 मी0)	जवाहर नगर	20 लाख	2 माह	मनरेगा, केन्द्र / राज्य वित्त
23		सड़क निर्माण	ऋषिपाल की दुकान से पप्पू पुलिसमैन के घर तक आरसीसी / इण्टरलॉकिंग (200 मी0)	जवाहर नगर	16 लाख	2 माह	मनरेगा, केन्द्र / राज्य वित्त
24	सेक्टर-3 आजीविका कृषि एवं पशुपालन	स्थायी पशु आश्रयस्थल का निर्माण	व्यक्तिगत स्तर पर 8-10 पशु की क्षमता वाले 40 पशु आश्रय स्थल का निर्माण	सभी गाँव में	60 लाख	3 माह	केन्द्र / राज्य वित्त
25		नर्सरी का निर्माण	वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु गाँव में फलदार / छायादार एवं टिम्बर (इमारती लकड़ी) के वृक्षों के पौधों की नर्सरी निर्माण (5बीघा)	नगला मल्ले	15 लाख	3 माह	मनरेगा




ट्रांजेक्ट भ्रमण में अवलोकित की गई स्थितियां सारणी में निम्नवत हैं-

1	बसाहट	<p>पाँच राजस्व गाँव</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ ग्राम पंचायत जवाहर नगर पुरसारी में पाँच राजस्व ग्राम हैं। जवाहर नगर, पुरसारी आठ बिस्वा, पुरसारी बारह बिस्वा, गनपतिपुर एवं नगला मल्ले। ❖ जवाहर नगर में 240 परिवार हैं जिनमें 182 सामान्य वर्ग (ठाकुर एवं ब्राहमण), 4 अन्य पिछड़ा वर्ग (नाई), 47 अनुसूचित जाति (धोबी, जाटव, मेहतर) एवं 7 अल्पसंख्यक(मुस्लिम) परिवार हैं। जिसमें 222 घर पक्के एवं 18 घर कच्चे हैं। ❖ पुरसारी आठ बिस्वा में 90 परिवार हैं जिनमें सभी परिवार सामान्य वर्ग (ठाकुर, ब्राहमण) से हैं, यहाँ 80 घर पक्के एवं 10 घर कच्चे हैं। ❖ बारह बिस्वा में 65 परिवार हैं जिनमें सभी परिवार सामान्य वर्ग (ठाकुर) से हैं। गाँव में 59 पक्के एवं 6 कच्चे घर हैं। ❖ गनपतिपुर में 12 परिवार हैं जिनमें सभी सामान्य वर्ग (ठाकुर) हैं, यहाँ 10 पक्के एवं 2 कच्चे घर हैं। ❖ नगला मल्ले में 85 परिवार हैं जो सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (यादव) हैं। गाँव में 74 पक्के एवं 11 कच्चे घर हैं।
2	बाग-बगीचा	<ul style="list-style-type: none"> ❖ पुरसारी बारह बिस्वा एवं पुरसारी आठ बिस्वा में 3 बड़े बाग हैं जिसका कुल क्षेत्रफल 29 बीगा है। बाग में मुख्य रूप से आम के वृक्ष हैं।
3	हरित क्षेत्र	<ul style="list-style-type: none"> ❖ गाँव में 352 एकड़ कृषि भूमि है जिसमें मुख्य रूप से गेहूँ, सरसों मक्का, बाजरा, आलू एवं सब्जियाँ आदि की फसल उगाई जाती है।
4	भौतिक संसाधन	<ul style="list-style-type: none"> ❖ गाँव में एक पंचायत भवन, 1 जूनियर हाईस्कूल, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। ❖ एक बड़ी पानी की टंकी का नवनिर्माण हुआ है जिसकी सप्लाई लाईन का कार्य प्रगति पर है। ❖ गाँव में एक नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। ❖ गाँव में एक सामुदायिक शौचालय एवं 225 इज्जतघर(अनुदानित) एवं 100 व्यक्तिगत शौचालय हैं। ❖ गाँव में 20 कुएँ हैं जो सूखे एवं निष्प्रयोज्य हैं। ❖ एक सरकारी राशन की दुकान है। ❖ 40 सरकारी हैण्डपम्प एवं 415 प्राइवेट हैण्डपम्प एवं खेती हेतु 17 ट्यूबवेल है।
5	नाला/नाली	<ul style="list-style-type: none"> ❖ गाँव में गनपतिपुर से पटियाली रोड की तरफ 1 बड़ा कच्चा नाला है। ❖ गाँव में पक्की नालियाँ हैं जो जलभराव के कारण टूटी-फूटी हैं।

1	बसाहट	<p>पॉच राजस्व गाँव</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ ग्राम पंचायत जवाहर नगर पुरसारी में पॉच राजस्व ग्राम हैं। जवाहर नगर, पुरसारी आठ बिस्वा, पुरसारी बारह बिस्वा , गनपतिपुर एवं नगला मल्ले। ❖ जवाहर नगर में 240 परिवार हैं जिनमें 182 सामान्य वर्ग (ठाकुर एवं ब्राह्मण), 4 अन्य पिछड़ा वर्ग (नाई), 47 अनुसूचित जाति (धोबी, जाटव, मेहतर) एवं 7 अल्पसंख्यक(मुस्लिम) परिवार हैं। जिसमें 222 घर पक्के एवं 18 घर कच्चे हैं। ❖ पुरसारी आठ बिस्वा में 90 परिवार हैं जिनमें सभी परिवार सामान्य वर्ग (ठाकुर, ब्राह्मण) से हैं, यहाँ 80 घर पक्के एवं 10 घर कच्चे हैं। ❖ बारह बिस्वा में 65 परिवार हैं जिनमें सभी परिवार सामान्य वर्ग (ठाकुर) से हैं। गाँव में 59 पक्के एवं 6 कच्चे घर हैं। ❖ गनपतिपुर में 12 परिवार हैं जिनमें सभी सामान्य वर्ग (ठाकुर) हैं, यहाँ 10 पक्के एवं 2 कच्चे घर हैं। ❖ नगला मल्ले में 85 परिवार हैं जो सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (यादव) हैं। गाँव में 74 पक्के एवं 11 कच्चे घर हैं।
6	तालाब	<ul style="list-style-type: none"> ❖ गाँव में पॉच तालाब (पियरी ताल, चरक का ताल, महोरी ताल, धुबियाईताल एवं जमुनी ढेर तालाब)हैं जिनमें से एक पियरी ताल पर अमृत सरोवर विकसित करने का कार्य चल रहा है शेष चारों पर अतिक्रमण है।







क्रम	वर्ष	आपदा/खतरा	घटनाओं के कारण	प्रभावित लोगों की संख्या	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु किया गया कार्य
1	1980	बाढ़	अत्यधिक बारिश एवं नहर का ओवरफ्लो	पूरा गाँव	240 एकड़ खेती डूब गई	कोई कार्य नहीं किया गया
2	1986	अग्निकांड	ट्रैक्टर(थ्रेसर) से निकली चिंगारी जिससे तैयार फसल में तीन दिन तक आग जलती रही	पूरा गाँव	300 एकड़ गेहूँ की फसल एवं 75 कच्चे घर जल गए एवं घरेलू सामान की भी क्षति हुई।	दमकल एवं ग्रामीणों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया।
3	1993	बाढ़	अत्यधिक बारिश एवं नहर का ओवरफ्लो	पूरा गाँव	215 एकड़ फसल नष्ट एवं 40 कच्चे घर ढए गए	कुछ किसानों द्वारा खेतों पर ऊँची मेंडबंदी एवं पक्के घर निर्माण
4	2004	बाढ़	अत्यधिक बारिश एवं नहर ओवरफ्लो	165 परिवार	140 एकड़ फसल डूब गई	सरकार द्वारा नहर की गहरी खुदाई जिससे पानील ओवरफ्लो न हो।
5	2016	सूखा	वर्षा कम होना, तालाब न होने से एवं सिंचाई के लिए नलकूप कम होने के कारण	225 परिवार	180 एकड़ कृषि प्रभावित	व्यक्तिगत नलकूप एवं हैण्डपम्प लगवाए गए।
6	2020-21	कोविड-19 महामारी	रोजगार हेतु गए बाहर के शहरों से लौटे लोगों के कारण	35 मजदूरी आदि पर निर्भर परिवार	लॉकडाउन लगने से रोजगार बाधित	टीकाकरण
7	2022	सूखा	वर्षा देर से होना एवं कम होना	300 परिवार	150 एकड़ कृषि प्रभावित	ग्रामीणों द्वारा नलकूप एवं हैण्डपम्प रीबोर कराए गए।

आपदा प्राथमिकीकरण - भवाहर नगर कुसराये									
आपदा	मानव	पशु	श्वेती	आजीविका	प्रभाव का क्षेत्र	मकान	शैक्षिक	परिवारिक	योग
सूखा	07	07	08	09	07	00	00	00	38
बाढ़	04	05	05	06	06	02	03	03	34
लू	06	06	04	04	03	00	00	00	23
शीतलहर	05	06	04	05	03	00	00	00	23
जलजमाव	04	05	05	04	05	03	03	00	29
आंधी-तूफान	04	04	05	04	03	04	00	00	24
उत्पाद	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ❖ नोट :- ग्रामीणों के साथ किये गए आपदा प्राथमिकीकरण में सूखा, बाढ़, जलजमाव, आंधी तूफान, लू एवं शीतलहर को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम व छठे स्थान पर रखा गया है।
- ❖ 01 सबसे कम एवं 09 से सबसे अधिक प्रभाव की तीव्रता को दर्शाया गया है। कोई प्रभाव नहीं होने पर 00 लिखा गया है।

आजीविका के साधनों पर आपदाओं का प्रभाव:—

संलग्नक संख्या 08

क्रमांक	आजीविका के प्रकार	परिवार की संख्या	आपदा	आपदा का प्रभाव			क्या प्रभाव पड़ता है
				अधिक	मध्यम	कम	
1	कृषि	335	जलजमाव				<ul style="list-style-type: none"> • लगभग 12 एकड़ की फसल खराब हो जाती है। • मार्ग पर जलजमाव होने से आवागमन प्रभावित होता है जिससे कृषिगत गतिविधियों में समस्या होती है • सब्जी, गेहूँ, सरसों की फसल में रोग लग जाते हैं। • कम दिन जलजमाव के क्षेत्र में भी उपज प्रभावित होती है।
			सूखा				<ul style="list-style-type: none"> • सिंचाई व्यय अधिक हो जाता है। • फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। • फसल सूख जाती है।
			बाढ़				<ul style="list-style-type: none"> • लगभग 45 एकड़ फसल डूब जाती है। • बाढ़ से फसल में रोग लग जाते हैं • सब्जी की फसल सड़ जाती है।
			शीतलहर				<ul style="list-style-type: none"> • फसलों में पाला पड़ जाता है। • फसलों की पैदावर प्रभावित होती है।
2	मजदूरी	94	जलजमाव				<ul style="list-style-type: none"> • आवागमन बाधित होता है। • रोजगार बाधित होता है। • कृषि कार्य में मजदूरी बाधित होती है।

			सूखा			<ul style="list-style-type: none"> आजीविका प्रभावित होती है। खान-पान पर प्रभाव पड़ता है।
			बाढ़			<ul style="list-style-type: none"> कृषि कार्य में मजदूरी बाधित होती है। आजीविका प्रभावित होती है। आर्थिक संकट उत्पन्न होता है।
			शीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य खराब हो जाता है। काम पर नहीं जा पाते हैं।
3	पशुपालन (गाय,भैस,बकरीपालन,सूअर)	225	जलजमाव			<ul style="list-style-type: none"> फसल खराब होने से चारा नहीं मिल पाता है। चारे की गुणवत्ता खराब हो जाती है। खराब चारा खाने से पशु बीमार हो जाते हैं। पशुओं के गिरकर चोटिल होना का खतरा रहता है।
			सूखा			<ul style="list-style-type: none"> चारे की कमी हो जाती है। दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है।
			बाढ़			<ul style="list-style-type: none"> खेतों में पानी भरने से चारे का संकट हो जाता है। बाढ़ से पशुओं में बीमारियों का खतरा रहता है।
			शीतलहर			<ul style="list-style-type: none"> पशु बीमार हो जाते हैं। उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है।

ग्राम प्रधान के साथ कार्ययोजना तैयार करते हुये

संलग्नक संख्या 09



अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p>चरण 1: वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p>चरण 2: भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p>चरण 3: भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)⁹²= ₹70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)⁹³</p> <p>= ₹1,200 प्रति इकाई</p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹1.5 लाख/हेक्टेयर</p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e)</p> <p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/हेक्टेयर माना जाता है</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> 300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। 		
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं)</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p>चरण 3: शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत⁹⁴ =</p> <p>₹40,000/हेक्टेयर⁹⁵</p>	

92 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

93 लागत बाजार भाव के अनुसार

94 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

95 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

सतत कृषि

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
1	सूक्ष्म सिंचाई-ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	चरण 1: कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना चरण 2: कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना	₹1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	मेड़बंधी करना	चरण 1: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50% चरण 2: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100% चरण 3: मेड़ों का रखरखाव - मेड़बंधी का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है - ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं।	1 मी. मेड़बंधी के लिए⁹⁶ = ₹150 रुपये	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	चरण 1: 5-10 तालाब चरण 2: 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव 1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m^3 ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)	1 कृषि तालाब का निर्माण⁹⁷ = ₹90,000	

96 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

97 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

4	प्राकृतिक खेती अपनाना	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): ₹60,000</p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹33,000</p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500</p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500</p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = ₹1,00,000 कुल लागत⁹⁸: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e--> 2.471 * 1,00,000 = ₹2,47,100</p>	
---	-----------------------	---	--	--

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं को प्रोत्साहन देना	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में चरण 2: सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्ढों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई)</p> <p>चरण 3: 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</p>	<p>10 m³ क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत⁹⁹ = ₹35,000</p> <p>1 पुनर्भरण गड्ढे की लागत¹¹ = ₹35,000</p>	

⁹⁸ यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (UPSOCA_Tariff_20March.pdf (apeda.gov.in)) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

⁹⁹ छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	<p>चरण 1: जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ)</p> <p>चरण 2: जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p> <p>चरण 3: जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p>	<p>अनुमानित लागत 1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = ₹7 लाख</p> <p>2. 1 रिटेंशन तालाब (300 m³ क्षमता) का निर्माण = : ₹7 लाख</p> <p>3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = ₹1,200 प्रति यूनिट</p> <p>4. रखरखाव की लागत:</p> <p>a. 1 तालाब/जल निकाय = ₹3, 75,000</p> <p>b. 1 प्रतिधारण तालाब = ₹50,000</p> <p>c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = ₹20 प्रति यूनिट</p>	
3	जल निकासी और नालों के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण	<p>चरण 1: मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण)</p> <p>चरण 2 और 3: चरण 1 में जारी गतिविधियाँ जारी जायें</p>	अधिकतर एचआरवीसीए दस्तावेज़ में दी गई लागतों को देखें	
4	स्वच्छता संबंधी संरचनाओं को बढ़ाना	<p>चरण 1: घरेलू शौचालय कवरेज को बढ़ाना</p> <p>चरण 2 और 3: शौचालय कवरेज बढ़ाना और मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव</p>	1 ट्विन पिट शौचालय की लागत = ₹15,000 से ₹20,000	

सतत और उन्नत गतिशीलता

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
1	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	<p>चरण 1: सड़क मरम्मत/रख-रखाव कार्य + सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य</p> <p>चरण 2 और 3: सड़कों का निरंतर रखरखाव</p>	सड़क रख-रखाव /मरम्मत की प्रति किमी लागत: ₹50,00,000 प्रति किलोमीटर	
2	माध्यम आकर के सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्षा	1 ई-ऑटोरिक्षा की कीमत: ~₹3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन 12,000 रुपये तक	
3	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	<p>चरण 1: डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना</p> <p>चरण 2 & 3: निरंतर जागरूकता</p>	<p>1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹6,00,000</p> <p>1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = ₹5 से 10 लाख</p>	

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना	चरण 1: <ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के तहत 100% घरों को शामिल करना मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था कूड़ादानों की स्थापना अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्कैप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना 	<p>कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें;</p> <p>बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58% गैर-बायोडिग्रेडेबल/अकार्बनिक अपशिष्ट - 42%</p> <p>आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या = कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा)</p> <p>कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)</p>	
		चरण 2: <ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव साझेदारी को बढ़ाना 	<p>प्लास्टिक श्रेडर इकाई की संख्या = 1 प्रति पंचायत</p> <p>अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना।</p>	
		चरण 3: <ol style="list-style-type: none"> रखरखाव कार्य साझेदारी को बढ़ाना 	<p>लागत¹⁰⁰:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन = ₹95,000 से 1,00,000 1 कूड़ादान/कंटेनर = ¹⁰¹ ₹15,000 	

100 लागत बाजार भाव के अनुसार

101 लागत बाजार भाव के अनुसार

2	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	चरण 1: a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: 1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय 2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री	कुल उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरा = प्राथमिक डेटा घरों, वाणिज्यिक दुकानों, सरकारी/पीआरआई भवनों, सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों आदि से जैविक कचरा = xxx किलोग्राम प्रति दिन (प्राथमिक डेटा के अनुसार) संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न की जा सकती है = xxx किग्रा/दिन जैविक अपशिष्ट / 2 प्रति वर्ष __ किलोग्राम कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (प्राथमिक डेटा के अनुसार)	
		चरण 2 और 3: a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत: 1. कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹4,50,000 2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ: ₹35,00,000	
3	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	चरण 1: a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	
		चरण 2: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 200 महिलाएं	

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
1.	सोलर रूफटॉप स्थापना	चरण 1: सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि) अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता	वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (कव्ह में) = स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें) स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन प्रति किलोवाट लागत = ₹50,000 प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365	उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)* 0.82/ 1000 = ____ टन CO ₂
		चरण 2 और 3: अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर चरण 2: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40% चरण 3: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%	प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 किलो वाट वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (कव्ह में)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ) प्रति किलोवाट लागत = ₹50,000 ¹⁰² प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365	

¹⁰² एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

2	कृषि फोटोवोल्टिक की स्थापना	<p>चरण 2: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25%</p> <p>चरण 3: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50% उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)</p>	<p>प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹1 लाख¹⁰³</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	
3	सौर पंप	<p>चरण 1: 20% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p>चरण 2: 50% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p>चरण 3: 100% डीजल पम्पों का बदला जाना</p>	<p>स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पन्न= कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p> <p>प्रति पंप लागत = ₹3 से 5 लाख¹⁰⁴</p>	<p>डीजल की खपत को कम करना =390 लीटर/प्रति/वर्ष</p> <p>प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390 उत्सर्जन से बचाव =</p> <p>प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (CO₂e)</p>
4	रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग	<p>चरण 1: 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 2: 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 3: 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता</p>	<p>1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹50,000</p> <p>2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र की लागत,</p> <p>बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹45,000</p> <p>1 बेहतर चूल्हे की लागत = ₹3,000¹⁰⁵</p>	

103 स्थापना की लागत बाजार दर के अनुसार

104 लागत बाजार दरों और पीएमकेएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार

105 बाजार दर के अनुसार लागत

5	ऊर्जा कुशल फिक्स्चर	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p>चरण 2: सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना ।</p> <p>चरण 3: सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹70</p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹220</p> <p>1 ईई पंखे की लागत = ₹1,110¹⁰⁶</p>	
6	सौर स्ट्रीटलाइट्स	<p>प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/ पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।</p>	<p>1 हाई-मास्ट की लागत = ₹50,000</p> <p>1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = ₹10,000¹⁰⁷</p>	

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियों और फलों/और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित लागत: ₹8-15 लाख प्रति यूनिट	

¹⁰⁶ विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>)

¹⁰⁷ बाजार दर के अनुसार लागत

अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

एसडीजी 2: जीरो हंगर



लक्ष्य 2.3: भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

लक्ष्य 2.4: वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.: सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



लक्ष्य 3.3: एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

लक्ष्य 3.9: खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



लक्ष्य 6.1: पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

लक्ष्य 6.3: वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

लक्ष्य 6.4: सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

लक्ष्य 6.5: सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

लक्ष्य 6.8: स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

लक्ष्य 6.a : अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

एसडीजी 7: किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



लक्ष्य 7.1: किफायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 7.2: ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

लक्ष्य 7.3: ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

लक्ष्य 7.a : नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 7.b: विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



लक्ष्य 8.3: विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



लक्ष्य 9.1: गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



लक्ष्य 11.2: सभी के लिए सुरक्षित, किफायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

लक्ष्य 11.4: विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

लक्ष्य 11.7: वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



लक्ष्य 12.2: प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

लक्ष्य 12.4: वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढाँचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.8: वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही



लक्ष्य 13.1: सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

लक्ष्य 13.2: जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

लक्ष्य 13.3: जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



लक्ष्य 15.1: अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 15.2: वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

लक्ष्य 15.3: वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्यवाही करना।

लक्ष्य 15.9: वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
इमारती लकड़ी के पेड़			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ्रिक्स रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्टेरोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरेसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
फल और जंगली खाद्य पौधे			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल शामिल हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।
एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और साँस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटैगिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न साँस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंद्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैंथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
--------------	---------------------	-------------	-----------------

औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़

एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्पैरैगसऐडसेंडेंसरोक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।

अन्य पेड़

पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।

